माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आपकी अनुमति से मैं, वर्ष 2012–13 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

2. हमारी सरकार ने चार वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गत चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन कर उभरा है। इस अवधि में राज्य सरकार को विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा भारत सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, ई–गवरनैंस, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, निवेश वातावरण, रोज़गार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में 58 प्रतिष्ठित पुरस्कार व सम्मान प्रदान किए गये हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश में हुई प्रगति एवं उपलब्धियों को दर्शाते हैं। मैं इन पुरस्कारों को प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा प्रदेश के 'आम आदमी' को समर्पित करता हूँ, जिनके प्रयासों से ही यह ख्याति प्रदेश को प्राप्त हुई है।

3. राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण में इन वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। इस दौरान हमारी सरकार ने अपने मुख्य ध्येय स्वरोजगार, स्वावलम्बन और स्वाभिमान को भी बनाए रखा है।

4. विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उच्च विकास के स्तर को बनाए रखने तथा प्रदेश को आने वाले वर्षों में और अधिक उपलब्धियों और

स्वावलम्बन के पथ पर ले जाने के लिये मैं इस मान्य सदन से समर्थन तथा मार्गदर्शन चाहता हूँ। इस वर्ष पहली बार हमने बजट को तैयार करने के लिये प्रदेश के नागरिकों से भी सुझाव मांगे हैं, जिससे इस प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके।

सुशासन

5. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में पूर्णतया पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है। जनता को नागरिक सेवाऐं निर्धारित समयावधि के भीतर सुनिश्चित करने के लिए हमने **'हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011'** पारित किया है जिसके अन्तर्गत इन सेवाओं को प्रदान करने के लिये समय–सीमा निर्धारित की गई है और जिसकी अनुपालना न होने पर दण्ड का प्रावधान भी है। इस अधिनियम को ज्यादा असरदार बनाने हेतु हमने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को द्वितीय अपील सुनने के लिए प्राधिकृत किया है, जबकि अन्य राज्यों में यह शक्तियां विभागाध्यक्षों के पास ही हैं। हम अभी तक 12 विभागों की सेवाओं को इस अधिनियम के तहत ले आए हैं।

कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु हमने राज्य प्रशिक्षण नीति के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग में प्रशिक्षण कार्ययोजना भी तैयार की है, जिससे कर्मचारी अपने दायित्वों को सही ढंग से निभा सकें तथा प्रदेश की जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।

6. हमने भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए **'हिमाचल**

प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक 2011' पारित कर, माननीय राष्ट्रपति महोदया की संस्तुति के लिये भेज दिया है। इस बिल के अन्तर्गत लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट तरीके से अर्जित सम्पत्ति को ज़ब्त करने का प्रावधान किया गया है।

7. सरकारी कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों/संगठनों में Performance Monitoring & Evaluation System (PMES) को लागू किया है। इस पद्धति के अन्तर्गत सभी सरकारी विभागों को हर वर्ष अपना Results Framework Document (RFD) तैयार करना होगा जिससे सभी विभाग अपने उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों को निश्चित समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित कर सकें। यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा अब तक 37 विभागों ने अपने RFD को अन्तिम रूप देकर उन्हें अपनी बेवसाईट पर अंकित कर दिया है।

आगामी वित्त वर्ष में प्रदेश के समस्त विभागों, बोर्डों और निगमों को इस पद्धति के तहत लाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस परिणाम आधारित समीक्षा पद्धति के लागू होने से प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

8. ई–समाधान प्रणाली के अन्तर्गत, जन समस्याओं का विभिन्न विभागों द्वारा त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जा रहा है। ई–समाधान के माध्यम से गत तीन वर्षों में 33,000 से अधिक

समस्याओं तथा मांगों का निपटारा किया जा चुका है। इस प्रणाली को और बेहतर बनाने के दृष्टिगत प्रार्थी को शिकायत की नवीनतम स्थिति भी बताई जा रही है। यदि मोबाईल नम्बर उपलब्ध हो तो, प्रार्थी को स्वचालित SMS भी भेजा जाता है।

9. हमारी सरकार ने जन सुविधा हेतु **"प्रशासन जनता के द्वार"** योजना भी पुनः शुरू की है जिसके अन्तर्गत जिला एवं उप–मण्डल स्तर पर गठित टीमों द्वारा दूरदराज क्षेत्रों में चार से पांच पंचायतों के केन्द्र बिन्दु पर शिविर लगा कर लोक मामलों का निपटारा किया जा रहा है।

10. राज्य में नागरिकों को उनके घर द्वार पर सरकारी सेवायें मुहैया करवाने के लिए पंचायत स्तर पर लोक मित्र केन्द्रों को स्थापित किया गया है। राज्य में लगभग 1281 लोक मित्र केन्द्रों में नागरिकों को नकल जमाबन्दी, पानी के बिल तथा बिजली बिल भुगतान और ई–समाधान द्वारा शिकायत निवारण जैसी सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से शीघ्र ही विभिन्न प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किये जा सकेगें। नई सेवाएं जैसे लरनर लाईसैन्स, रोज़गार पंजीकरण और BSNL बिल भुगतान भी शीघ्र ही शुरू की जाएंगी।

विभिन्न सरकारी सेवाएं इंटरनेट द्वारा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्टेट सर्विसिज़ डिलिवरी गेटवे (SSDG) शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को कोई भुगतान करना होगा तो ऑनलाईन किया जा सकेगा। 14

विभागों से सम्बन्धित 49 सेवाओं को पोर्टल से उपलब्ध करवाने के लिए चिन्हित किया गया है। विभिन्न सरकारी सेवाएं, नागरिकों को उनके मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु मोबाइल सर्विसिज डिलिवरी गेटवे(MSDG) भी शीघ्र शुरू किया जाएगा।

आर्थिक परिदृश्य

11. अध्यक्ष महोदय, मैं बिगड़ती राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को लेकर चिन्तित हूँ। जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है, केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2010–11 के लिए राष्ट्रीय विकास दर 8.6 प्रतिशत अनुमानित की थी परन्तु वास्तव में यह 8.4 प्रतिशत ही रही। यह कमी मुद्रा स्फिती तथा निवेश में कमी के कारण आई है। 2011–12 में केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के खराब प्रबन्धन के कारण यह दर घटकर 6.9 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। 2011–12 की तीसरी तिमाही में विकास दर 6.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुँच गई है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर 2011–12 की तीसरी तिमाही में मात्र 0.4 प्रतिशत रही है जिससे इस वर्ष केन्द्रीय करों तथा इनसे प्राप्त होने वाला राज्य के हिस्से पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। भारत सरकार की स्थिति इस तरह की हैः–

ता उम्र ‘गालिब’,यह भूल करता रहा।
धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा।

राज्य का वित्तीय परिदृश्य

12. नये वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश तथा सभी अन्य राज्यों के वित्तीय

संसाधनों पर असर पड़ा है। ऊपर से 13वें वित्तायोग द्वारा राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देयताओं का कम मूल्यांकन करके दी गई सिफारिशों का राज्य के वित्तीय संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि वित्तायोग हमारी सहायता राशि में भी अन्य राज्यों के बराबर वृद्धि करता तो प्रदेश को 5 वर्षों में ₹10725 करोड़ की अधिक सहायता राशि प्राप्त होती। वित्तायोग की प्रतिकूल सिफारिशों से निपटने हेतु हमने भारत सरकार से दो वर्ष के लिए ₹5214 करोड़ का विशेष वित्तीय पैकेज देने का आग्रह किया है। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक केन्द्र से इस प्रकार की कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

हमारी सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में विभिन्न विशेष श्रेणी राज्यों के लिए धन आबंटन के अलग–अलग मापदण्ड होने के मामले को भी लगातार उठाया है। मैं इस माननीय सदन को सूचित करना चाहूँगा कि उत्तर पूर्व के विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत सहायता राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है, परन्तु हमारे बार–बार आग्रह करने पर भी यह मापदण्ड हिमाचल प्रदेश के लिए लागू नहीं किया गया है। हमें गैर विशेष श्रेणी राज्यों की तरह इन योजनाओं में कम सहायता राशि दी जा रही है। परन्तु, हमें श्रद्धेय **अटल जी** की निम्न पंक्तियाँ हौसला देती हैः–

पुष्प कांटों में खिलते हैं, दीप अधेरों में जलते हैं
आज नहीं प्रहलाद युगों से, पीड़ाओं में पलते हैं।

13. जैसा हम सब जानते ही हैं, कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने BBMB परियोजना में हमारे दावे को सही ठहराते हुए हिमाचल प्रदेश को न्याय प्रदान किया है। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्ष 1966 से बकाया ₹3997 करोड़ की राशि हिमाचल को देने का दावा भारत सरकार को भेजा है।

14. कठिन वित्तीय परिस्थिति के बावजूद हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के विकास का रथ धीमा न हो। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन द्वारा हमने यह सुनिश्चित किया है कि पूरे वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के पास हमारे पर्याप्त कैश बेलैंस बनें रहें तथा राज्य कोषागार सुचारू रूप से चलता रहे। वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, हमारा वित्तीय घाटा GSDP के 3 प्रतिशत के अन्दर रहने की सम्भावना है, जैसा की FRBM Act द्वारा प्रावधित है। जबकि भारत सरकार का वित्तीय घाटा 2011–12 में 4.6 प्रतिशत अनुमानित था जो की वास्तव में अब 5.9 प्रतिशत होगा। अतः भारत सरकार जो नियम राज्यों पर लगा रही है, उनका खुद पालन नहीं कर रही है।

15. सकल घरेलु उत्पाद का ऋण प्रतिशत तथा इसका कितना प्रतिशत ऋण व ब्याज की अदायगी में दिया जा रहा है, यह प्रदेश की वित्तीय सेहत के मापदण्ड हैं। ऋण–सकल घरेलु उत्पाद की प्रतिशतता जहाँ वर्ष 2007–08 में 63 प्रतिशत थी, वहाँ यह वर्ष 2010–11 में घटकर 46 प्रतिशत ही रह गई है।

इसके अतिरिक्त ऋण वापसी (ऋण तथा ब्याज अदायगी) की दर 2007–08 में 8 प्रतिशत से घटकर 2010–11 में 5 प्रतिशत रह गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि गत चार वर्षों में हमारे प्रदेश की ऋण देयता ₹5366 करोड़ ही बढ़ी है जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल के पाँच वर्षों में ऋण देयता ₹8032 करोड़ बढ़ी थी। भारी वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद, यह आंकडे राज्य की अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबन्धन को दर्शाते हैं।

16. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को यह भी सूचित करना चाहूँगा कि इन चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 8.3 प्रतिशत की औसत दर से विस्तार हुआ है, जिससे राज्य का सकल घरेलु उत्पाद वर्ष 2007–08 में ₹33,963 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2010–11 में ₹54,695 करोड़ पहुँच गया है। वर्ष 2011–12 में प्रदेश की विकास दर 7.6 प्रतिशत रहने की सम्भावना है जो की राष्ट्रीय अनुमान 6.9 प्रतिशत से कहीं अधिक है। इस तेज़ी से विकास के परिणामस्वरूप प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2007–08 के ₹43,966 से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹65,535 हो गई है तथा 2011–12 में यह ₹73,608 सम्भावित है जो ₹60,972 के राष्ट्रीय स्तर से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। अतः इन 5 वर्षों में प्रदेश के लोगों की आय में लगभग 30,000 रूपये प्रति व्यक्ति की औसत बढ़ोतरी हुई है, जो की हमारे प्रदेश के निवासियों की बढ़ती खुशहाली का प्रतीक है।

मुद्रास्फीति व राज्य खाद्यान्न उपदान

17. देश में खाद्य पदार्थों तथा अन्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि की स्थिति खराब होती जा रही है। खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं जिससे आम आदमी बेहद प्रभावित हुआ है। मंहगाई पर अंकुश लगाने के लिये केन्द्र सरकार की कोई ठोस नीति न होने के कारण, 2007 से 2012 के UPA सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में मंहगाई में 57.6 प्रतिशत की अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहता हूँ कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में NDA सरकार के कार्यकाल के पाँच वर्षों में, 1999 से 2004 तक, मंहगाई पर अंकुश था तथा यह केवल 20.8 प्रतिशत ही बढ़ी थी।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि प्रदेश में 11.17 लाख APL राशन कार्ड धारक हैं, परन्तु केन्द्र सरकार से बार–बार मामला उठाने के बावजूद भी राज्य को केवल 7.43 लाख राशन कार्ड के हिसाब से ही गेहूँ व चावल का कोटा मिल रहा है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रदेशवासियों को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए हमारी सरकार ने अपने स्तर पर हर सम्भव प्रयास किया है। हम सभी राशन कार्ड धारकों को तीन दालें, दो खाद्य तेल तथा नमक रियायती दरों पर उपलब्ध करवा रहें हैं। वर्ष 2012–13 में इस योजना के लिये मैं ₹130 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

18. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए इसका कम्पयूटरीकरण किया जाएगा जिससे FCI के गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा हो सके व आम आदमी को खाद्य पदार्थ समय पर प्राप्त हों। जैसा की विदित है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ खाद्य वस्तुओं का उत्पादन कम है, जिनका बाहर से आयात करना पड़ता है। इन वस्तुओं की उचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी नियन्त्रण आदेशों में उचित संशोधन किए जाएंगे जिससे इन पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा इनके मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जा सके।

वार्षिक योजना 2011–12

19. अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की इस वचनबद्धता को दोहराना चाहता हूं कि वित्तीय कठिनाईयों को प्रदेश के तीव्र विकास में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा :–

मँजिलें उन्हीं की होती हैं,
जो राहों में जोखिम उठाते हैं।
कांटों की सेज पर ही,
फूल ज़िन्दगी के मुस्कराते हैं।

20. वर्ष 2012–13, बारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। बारहवीं योजना के लिये हमने योजना आयोग को ₹22800 करोड़ का योजना आकार प्रस्तावित किया है जो ग्यारहवीं

योजना से 65 प्रतिशत अधिक है। इस योजना में हमारी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल तथा कृषि क्षेत्रों में रहेगी। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पिछले कार्यकाल के समय तैयार की गई 10वी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना से 70 प्रतिशत अधिक थी जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार की गई 11वीं योजना 10वीं योजना के मुकाबले केवल 33 प्रतिशत ही अधिक है।

21. हमने वार्षिक योजना आकार को चालू वित्तीय वर्ष के ₹3300 करोड़ की तुलना में, वर्ष 2012–13 के लिए, ₹3700 करोड़ किया है जो गत वर्ष से 12.12 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में कृषि, ऊर्जा, सड़क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि हम योजना आकार का 12.98 प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, जो अन्य राज्यों से कहीं अधिक है तथा इसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की गई है।

22. हमारी सरकार के बेहतर कार्यसम्पादन के कारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रदेश के विकास में सहभागी बनने के लिए आगे आई हैं। कृषि, वन, सिंचाई, ऊर्जा, सड़क तथा पर्यटन के क्षेत्रों में World Bank, Asian Development Bank तथा Japan International Cooperation Agency(JICA) के सहयोग से बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

विश्व बैंक ने Mid Himalayan Watershed Development परियोजना की समयावधि को भी बढ़ा दिया है। अब इसमें ₹175 करोड़ की और राशि प्राप्त होगी तथा प्रदेश की 102 अतिरिक्त पंचायतें भी इससे लाभान्वित होंगी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012–13 में हमें आशा है कि विश्व बैंक से ₹950 करोड़ के विकास नीति ऋण(DPL) के अन्तर्गत प्रदेश में हरित विकास के लिए धन राशि प्राप्त होगी। साथ ही, प्रदेश के शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए ADB से ₹450 करोड़ के शहरी विकास नीति ऋण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये HPPCL को KFW (जर्मनी) से ₹950 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाने बारे बातचीत हो चुकी है। इन सभी बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं का 2012–13 में स्वीकृत होना अपेक्षित है।

23. आगामी वर्ष के लिए क्षेत्रवार प्राथमिकताओं को मान्य सदन के माननीय सदस्यों के साथ की गई चर्चा अनुसार निर्धारित किया गया है। तदानुसार, मैं प्रदेश में ढ़ांचागत विकास के लिए RIDF के अन्तर्गत बजट ₹350 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2012–13 में ₹450 करोड़ प्रस्तावित करता हूँ।

24. जैसा माननीय सदस्यों को विदित ही है कि **विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना** के अन्तर्गत ₹30 लाख प्रति वर्ष आबंटित किये जाते हैं जो सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र में ही व्यय किये जा सकते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि अगले वित्तीय वर्ष से इस

राशि को बढ़ाकर ₹50 लाख किया जाएगा तथा अब विधायक महोदय इस राशि को ज़िले में कहीं भी व्यय करने की संस्तुति देने के लिए अधिकृत होंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारी मुख्य उपलब्धियों तथा कार्य नीतियों को रेखांकित करूँगा।

सूचना प्रौद्योगिकी

25. राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सुनिश्चित और प्रभावी सरकारी सेवायें नागरिकों को प्रदान करने और उनमें पारदर्शिता लाने में अग्रिम रही है। हमने ई–खरीद (e-Procurement) प्रणाली को IPH, PWD और Controller of Stores में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि IPH तथा PWD द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार e-Procurement से खरीद में लगभग 10 प्रतिशत की बचत हुई है। इसकी सफलता को देखते हुए इस प्रणाली को चरणबद्ध ढ़ंग से प्रदेश के सभी विभागों व निगमों तथा Boards में शुरू किया जाएगा।

न्यायिक प्रशासन

26. हम न्यायालयों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार तथा न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिये उचित कदम उठाने के लिये वचनबद्ध है। मैं वर्ष 2012–13 में राज्य न्यायिक अकादमी, Alternate Dispute Resolution केन्द्र, लोक अदालतों/Legal aid, Mobile Courts तथा न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ₹15 करोड़ 64 लाख का बजट प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही न्यायिक भवनों के निर्माण के लिए

₹13 करोड़ का बजट प्रावधान भी प्रस्तावित करता हूँ।

कृषि

27. हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कृषि, बागवानी तथा सम्बद्ध क्षेत्र, जीवन–यापन के मुख्य घटक हैं, क्योंकि प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या इन पर निर्भर है। हमारी सरकार कृषि आय में वृद्धि तथा ग्रामीण आर्थिकी में समृद्धि लाने के प्रति वचनबद्ध है। भारत सरकार ने कृषि विकास दर का लक्ष्य 4 प्रतिशत रखा है जिसकी तुलना में हिमाचल प्रदेश में यह दर 5 प्रतिशत से अधिक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि की विकास दर इस वर्ष मात्र 2.5 प्रतिशत ही रही है। अतः हिमाचल में कृषि का विकास तेजी से हो रहा है।

28. हमारी सरकार गत तीन वर्षों से ₹353 करोड़ की **"पंडित दीन दयाल किसान–बागवान समृद्धि"** योजना क्रियान्वित कर रही है जिससे किसानों तथा बागवानों की आर्थिकी में एक क्रांति आई है। इसके तहत् दिसम्बर 2011 तक 9610 Polyhouse तथा 4171 Micro Farm Irrigation Systems लगाए जा चुके हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान इस योजना के लिए मैं ₹50 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

29. फसल विविधिकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) की सहायता से ₹321 करोड के एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना में फसल विविधिकरण, जल संग्रहण, जैविक खेती, सिंचाई इत्यादि

सुविधाएं प्रदेश के 5 ज़िलों कांगड़ा, मण्ड़ी, हमीरपुर, ऊना एवं बिलासपुर में किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

30. किसानों को उत्पाद के उचित मूल्य दिलवाने के लिए हम विपणन सुविधाएं उनके खेतों के समीप उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे राज्य में मार्किट फीस पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सबसे कम है। जहां यह दर पंजाब में 4.5 प्रतिशत तथा हरियाणा में 4 प्रतिशत है, हिमाचल में यह केवल 1 प्रतिशत है। चौरी बिहाल, बन्दरोल, हरीपुरधार, नौहराधार, जुखाला तथा टापरी में लगभग ₹13 करोड़ 33 लाख की लागत से उप–मण्डी आहातों का निर्माण शुरू किया गया है। इस सन्दर्भ में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए APMC Act में ज़रूरी प्रावधान किये गए हैं।

31. हमारी सरकार का मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन (Soil Health Management) एवं जैविक खेती पर विशेष ध्यान केन्द्रित है। इससे मृदा उर्वरता (Soil Fertility) में सुधार होगा जो कि उच्च उत्पादकता में सहायक होगा। अभी तक जैविक खेती के लिए 25000 किसानों का पंजीकरण किया गया है तथा 12000 हैक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अन्तर्गत लाया गया है। 2011–12 तक 4 लाख 9 हज़ार केंचुआ खाद इकाईयां लगाई जा चुकी हैं। मिट्टी परीक्षण को लोक सेवा गांरटी अधिनियम में शामिल किया गया है। अभी तक 5 लाख से अधिक "मिट्टी परीक्षण कार्ड" जारी किए जा चुके हैं।

जलागम विकास

32. जलागम विकास कार्यक्रम से विविध कृषि आधारित गतिविधियों तथा एक से अधिक फसल की पैदावार से जलागम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को निरन्तर आजीविका के अवसर प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार ने इसके दीर्घकालीन विकास हेतु ₹4668 करोड़ की राशि से 31 लाख 12 हज़ार हैक्टेयर भूमि में जलागम विकास हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की है जिसकी सैद्धांतिक मन्ज़ूरी प्राप्त हो चुकी है। गत तीन वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत 131 परियोजनाएं मन्ज़ूर की जा चुकी हैं जिनकी कुल लागत ₹1035 करोड़ है।

बागवानी

33. हम बागवानी में विविधता लाने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं जिसके लिए हमने उन्नत तकनीकी के विस्तार पर खास महत्व दिया है। मुझे माननीय सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय ने बागवानी के क्षेत्र में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए हिमाचल प्रदेश को बागवानी मिशन के अन्तर्गत सबसे बढ़िया राज्य होने का पुरस्कार दिया है।

34. बागवानी में विभिन्न फलों के अन्तर्गत 4000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाया जा रहा है। सेब की उत्पादकता बढ़ाने हेतु **'सेब पुनःरोपण योजना'** लागू की गई है जिसके अन्तर्गत गत 2 वर्षों में 1500 हैक्टेयर क्षेत्र में सेब पुनःरोपण हेतु 10 करोड़ 50 लाख रूपये प्रदान किए गए हैं।

35. Market Intervention Scheme(MIS) के अन्तर्गत मैं वर्ष

2012–13 में ₹14 करोड़ का बजट प्रस्तावित कर रहा हूँ। यदि आवश्यकता हुई तो और अधिक बजट इसके लिए प्रदान किया जाएगा, जिससे बागवानों को समय पर अदायगी सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त बागवानों को अपने उत्पाद दूर–दराज़ के क्षेत्रों से बाज़ार तक पहुँचाने की सुविधा देने हेतु इन क्षेत्रों से Aerial Ropeways के माध्यम से फल, सड़क मार्ग तक ले जाने की सम्भावनाओं पर भी Survey करवाया जाएगा।

36. प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु **'मौसम आधारित फसल बीमा योजना'** चलाई जा रही है। रबी 2012–13 में सेब फसल हेतु, प्रायोगिक आधार पर शिमला ज़िले के ठियोग, जुब्बल–कोटखाई, नारकण्डा तथा रोहडू विकास खण्डों को ओलावृष्टि तथा रामपुर व चिडगांव विकास खण्डों को बादल फटने की आपदाओं की क्षतिपूर्ति हेतु इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा।

पशुपालन

37. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कृषकों की आर्थिकी में पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है। पशु पालन विभाग द्वारा 2137 पशु चिकित्सा संस्थानों एवं मुख्य मन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में खोले गए 1012 पशु औषधालयों के माध्यम से पशु पालकों के घर द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शेष बची 230 ग्राम पंचायतों में इस योजना के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में पशु औषधालय खोल दिए जाएंगे।

मैं पशुपालन हेतु वर्ष 2012–13 में ₹224.20 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

38. “एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना”(IDDP) के अन्तर्गत ₹8 करोड़ 67 लाख की परियोजना हमीरपुर, किन्नौर तथा सोलन ज़िलों के लिए स्वीकृत की गई है। वर्ष 2012–13 में IDDP के अन्तर्गत बिलासपुर ज़िले के लिए ₹2 करोड़ 95 लाख की परियोजना तथा स्वच्छ दूध उत्पादन प्रोग्राम के अन्तर्गत शिमला, सिरमौर व मण्डी ज़िलों के लिए ₹4 करोड़ 51 लाख की परियोजना भी शुरू की जाएगी।

39. हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ द्वारा डेयरी विकास की गतिविधियां 759 दूध सहकारी सभाओं जिनकी सदस्यता लगभग 34909 है, के माध्यम से चलाई जा रही हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि इस दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के फलस्वरूप, दुग्ध प्रापण की मात्रा वर्ष 2007–08 में 139 लाख लीटर से 76 प्रतिशत बढ़कर 2011–12 में 245 लाख लीटर तक पहुँच गई है।

40. रामपुर में दुग्ध विधायन संयन्त्र तथा एक मिल्क पाउडर प्लांट और भोरंज के पास एक नया पशु आहार संयन्त्र शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर देंगे। चौंतड़ा तथा सराज में नये दुग्ध अभिशीतन संयन्त्र तथा नालागढ़ व जंगलबेरी में नये दुग्ध विधायन संयन्त्र स्थापित किए जा रहे हैं जो 2012 में कार्य करना आरम्भ कर देंगे।

41. हमारी सरकार ने दुग्ध खरीद दर को 2007–08 में ₹10.80 से समय–समय पर बढ़ाकर 2011–12 में ₹16.80 प्रतिलीटर किया है। इससे 35000 परिवारों को सीधा लाभ हुआ है। मैं 1 अप्रैल, 2012 से दुग्ध खरीद दर को और ₹1 बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। इसको सुनिश्चित करने के लिए मैं दुग्ध प्रसंघ के अनुदान को वर्ष 2011–12 में ₹10 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2012–13 में ₹11 करोड़ प्रस्तावित कर रहा हूँ।

42. अभी मिठाई तथा अन्य दुग्ध उत्पादों पर 13.75 प्रतिशत की दर से वैट लागू है। इन उत्पादों के स्थानीय उत्पादन तथा विपणन को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य से मैं घोषणा करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में स्थित उत्पादकों, दुग्ध प्रसंघ तथा सहकारी सभाओं द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाली सभी प्रकार की मिठाईयों और दुग्ध उत्पादों पर वैट की दर 13.75 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जाएगी।

43. प्रदेश में दूध के उत्पादन, विधायन तथा विपणन में स्थानीय पहल को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य से, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऐसी सभी सहकारी सभाएं जो इस कार्य को कर रही हैं, उनको, उनके द्वारा कृषि विपणन बोर्ड में जमा मण्डी शुल्क के बराबर अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा।

44. Wool Fed प्रदेश के भेड़ पालकों से ऊन क्रय करता है ताकि उन्हें अपने उत्पादन के उचित दाम मिल सकें। मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊन क्रय दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी,

जिसके लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रदेश में लगभग 14000 भेड़ पालकों को लाभ होगा। महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि :–

जिन्दगी की असली उड़ान अभी बाकी है,
इरादों का इम्तहान अभी बाकी है,
अभी तो नापी है मुठ्ठी भर जमीन,
अभी सारा आसमान बाकी है।

मत्स्य पालन

45. हिमाचल प्रदेश की नदियों व उन पर बनाए गए बांधों से उत्पन्न जलाशयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध व नवनिर्मित तालाबों में मत्स्य विकास की अच्छी सम्भावनाएं हैं। हमारी नदियों में मछली आखेट पर लगभग 6000 मछुआरे निर्भर हैं। मछुआरों के लिये मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना, बन्द सीज़न राहत योजना व जोखिम निधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं को आगामी वर्ष में भी जारी रखा जाएगा।

46. जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए ₹6 करोड 68 लाख की लागत से **"Cage Culture"** नामक योजना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना को 2 जलाशयों गोविन्द सागर तथा महाराणा प्रताप सागर में कार्यरत चार सहकारी सभाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

47. मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालकों को ट्राऊट फीड उपलब्ध करवाई जाती है। इस उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए मैं ट्राऊट फीड की विक्रय दर में 15 प्रतिशत की कमी करने की घोषणा करता हूँ। इससे मछली पालकों को कम दामों पर फीड

मिल सकेगी।

परिवहन

48. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक परिवहन सुविधा प्रदान करने तथा रोज़गार सृजन के उद्देश्य से **"मुख्य मन्त्री ग्रामीण परिवहन योजना"** नाम से एक योजना आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत बस चलाने के लिये परमिट जारी किए जाएंगें। यह परमिट कराधान की घटी दरों पर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रियायती पास धारकों के प्रति सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए इनको मासिक आधार पर 17 सीटर बस के लिए ₹1000, 22 सीटर के लिए ₹1500 तथा 29 सीटर के लिए ₹2000 का भुगतान किया जाएगा। परमिट देने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।

49. वर्ष 2011–12 में ISBT टूटी कण्डी तथा सुन्दरनगर, रामपुर व आनी बस अड्डों को चालू कर दिया गया है। 2012–13 में धर्मपुर, ज़िला मण्ड़ी तथा जुब्बल बस अड्डों को चालू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में सुरक्षित बस यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तारादेवी(शिमला) में 12 करोड़ 60 लाख की लागत से 'Model Inspection & Certification Centre' स्थापित किया जाएगा।

50. हम यात्रियों की सुविधा के लिए वर्ष 2012–13 में भी नये बस अड्डों के निर्माण को प्राथमिकता देंगे। हमीरपुर, ऊना तथा परवाणू के बस अड्डों का निर्माण कार्य PPP आधार पर

आबंटित कर दिया गया है। मनाली, चिन्तपूर्णी, बद्दी, रोहडू, बिलासपुर, नालागढ़ तथा बैजनाथ में भी इसी आधार पर आधुनिक बस अड्डे बनाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त स्वारघाट, मैहरे, सन्धोल में बस अड्डों का निर्माण व करसोग बरच्छवाड़ (सरकाघाट) तथा कोटली में बस अड्डों का विस्तार, हि.प्र. बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

51. हिमाचल पथ परिवहन निगम पूरे राज्य में यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा अनेक वर्गों को रियायती यात्रा सुविधा भी प्रदान कर रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए, प्रदेश के विभिन्न स्थानों से चलने वाली सभी प्रकार की बसों के लिए 100 प्रतिशत आनलाईन बुकिंग सेवा आरम्भ की गई है। यह सेवा लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त परिवहन निगम द्वारा शिमला शहर में वरिष्ठ नागरिकों, रोगियों तथा अपंग व्यक्तियों इत्यादि की सुविधा हेतु 21 टैक्सियां चलाई जा रही हैं। परिवहन निगम द्वारा प्रदेश की जनता को दी जा रही सेवाओं के दृष्टिगत मैं उनके अनुदान तथा निवेश को वर्ष 2011–12 में ₹113.65 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2012–13 में ₹135 करोड़ करने की घोषणा करता हूँ।

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद

52. अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य सूचकांक देश में सर्वश्रेष्ठ हैं और सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में किये गए निरन्तर प्रयासों के

परिणामस्वरूप ये लगातार उन्नत हो रहे हैं। **"अटल स्वास्थ्य सेवा योजना", "मातृ सेवा योजना"** तथा **"मातृ सेवा केन्द्रों"** जैसी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप राज्य में शिशु मृत्यु दर (IMR) में गत तीन वर्षों में 15 प्रतिशत की गिरावट तथा गत एक वर्ष में ही 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो कि देश में उच्चतम है। हमारी शिशु लिंग दर 896 से 906 हुई है, संस्थागत प्रसव 71 प्रतिशत तक बढ़ गया है, प्रजनन दर (Fertility Rate) गिर कर 1.9 आ गई है और 2001–2011 में जनसख्या वृद्धि दर मात्र 12.81 प्रतिशत रही है। ये सब सूचकांक हमारी सरकार द्वारा किए गए निरन्तर प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करते हैं। 2012–13 में मैं राज्य के नागरिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र में ₹1054.27 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ। यह राशि पिछले वर्ष से लगभग 25 प्रतिशत अधिक है।

53. आगामी वर्ष 2012–13 में, मेरा वर्तमान में महिलाओं व नवजात शिशुओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। **"मातृ सेवा योजना"** के अन्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी नवजात शिशुओं व उनकी माताओं को एक वर्ष की आयु तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देने की घोषणा करता हूँ।

54. अध्यक्ष महोदय, **"अटल स्वास्थ्य सेवा योजना"** प्रदेश में बहुत कारगर सिद्ध हुई है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 1 लाख 20

हज़ार रोगियों ने इस निशुल्क सेवा का लाभ लिया है। वर्ष 2012–13 में मैं इस योजना में रोगीवाहनों की संख्या 108 से बढ़ाकर 135 करना प्रस्तावित करता हूँ। यह अतिरिक्त 27 बचाववाहन जिला/उप–जिला स्तर से आपातकाल में रोगियों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं तक ले जाने की सुविधा प्रदान करेंगे। इस योजना पर वर्ष 2012–13 में लगभग ₹17 करोड़ व्यय किए जाएंगे।

55. विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **"मुख्य मन्त्री विद्यार्थी स्वास्थ्य कार्यक्रम"** को और सुदृढ़ किया जाएगा। अन्य कार्यक्रर्मों से समन्वय करते हुए सरकारी शिक्षण संस्थानों में जा रहे प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य–वर्धक सेवाएं प्रदान की जाएंगीं। सभी बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा मुफ्त दी जाएगी तथा उनके दातों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

56. जनजातीय एवं दूर–दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मेरी सरकार **Mobile Diagnostic Unit** आरम्भ करने का प्रस्ताव करती है जो निश्चित दिनों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। इन क्षेत्रों में कार्यरत हमारे चिकित्सा कर्मियों को चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने के लिए ''दूर–औषध केन्द्रो''(Telemedicine Centres) की स्थापना हेतु प्रयास किए जाएंगें। साथ ही इन दूर–दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के लिए आवास का निर्माण भी हम प्रस्तावित करते हैं।

57. सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास जारी रखते हुए **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** का विस्तार करके इसके अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या को 3 लाख से बढाते हुए 4 लाख से अधिक किया जाएगा। मनरेगा कर्मियों, निर्माण एवं घरेलू कार्यों व गली–कूचों में कार्य करने वाले कर्मियों, एकल नारी तथा 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। महोदय, जैसा की आप जानते हैं कि इस योजना के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों को आम बीमारी की दशा में सरकारी व चिन्हित अस्पताल में भर्ती होने पर ₹30,000 तक के निशुल्क ईलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा ₹1,75,000 तक कैन्सर, किडनी, दिल की बीमारी जैसी गम्भीर बीमारियों हेतु स्मार्ट कार्ड धारकों के निशुल्क ईलाज का प्रावधान भी किया गया है।

58. हम राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। पिछले चार सालों में राज्य के दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS सीटों की संख्या 115 से 200 हो चुकी है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर कोर्स/डिप्लोमा की सीटों की संख्या 39 से 127 हो गई है जो तीन गुना से अधिक बढ़ोतरी है। हमने IGMC में सुपर–स्पेशिलयटी चिकित्सा शिक्षा (McH/DM) भी प्रारम्भ की है। वर्ष 2012–13 में प्रदेश में दो नए चिकित्सा महाविद्यालय, नैरचौक तथा कुमारहट्टी में कार्यशील हो जाएंगे। आगामी वर्ष में डा0 राजेन्द्र प्रसाद

चिकित्सा महाविद्यालय में ₹150 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे नए सुपर–स्पेशियलटी खण्ड का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा।

59. चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 विद्यार्थी तथा वरिष्ठ रैजीडेन्ट, स्नातकोत्तर/अध्यापन कार्य के अतिरिक्त रोगियों की देखभाल भी करते हैं। इनसे वजीफा/Stipend बढ़ाने का आवेदन प्राप्त हुआ है। अतः मैं यह घोषणा करता हूँ कि पी0जी0 विद्यार्थियों का वजीफा प्रथम वर्ष में ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000, द्वितीय वर्ष में ₹16,000 से बढ़ाकर ₹27,000 तथा तृतीय वर्ष में ₹17,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह किया जाएगा। इसी प्रकार वरिष्ठ रैजीडेन्ट का वजीफा ₹35,000 से बढाकर प्रथम वर्ष में ₹40,000, द्वितीय वर्ष में ₹42,500 तथा तृतीय वर्ष में ₹45,000 प्रतिमाह किया जाएगा।

60. ऐलोपैथिक डॉक्टरों की आपातकालीन सेवाओं को देखते हुए, मैं उन्हें HP Government CUG स्कीम के अन्तर्गत मोबाईल फोन हेतु ₹350 की द्विमासिक राशि प्रतिपूर्ति आधार पर देने की घोषणा करता हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि पी0जी0 करने वाले डॉक्टरों के उच्च शिक्षा भत्ते को बढ़ाया जाएगा।

61. स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन वर्गों से मांग प्राप्त हुई है कि उन्हें राज्य कैडर से ज़िला कैडर बनाया जाए। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग इन वर्गों की Associations से चर्चा करके इन वर्गों को ज़िला कैडर बनाने

के लिए उचित कार्यवाही करेगा।

62. आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गए हैं। हमीरपुर में 50 बिस्तरों की क्षमता के एक नये एकीकृत आयुर्वेदिक अस्पताल तथा पपरोला में बी0एस0सी नर्सिंग कालेज की स्थापना की जा रही है। हमारा प्रस्ताव है कि प्रदेश में 300 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ₹15.15 करोड़ की लागत से उन्नयन किया जाएगा।

आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ताओं की आयुर्वेदिक चिकित्सकों के साथ वेतन विसंगति को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।

भू–राजस्व

63. राजस्व प्रशासन ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार के साथ जनता का सबसे अधिक सम्बन्ध रहता है। सरकार का यह दृढ़ प्रयास है कि इन सम्बन्धों को निर्धारित करने वाली नीतियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार लाया जाए। हमने हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 में संशोधन करके तहसील स्तर पर इन्तकाल दर्ज तथा सत्यापित करना संभव किया है। हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व नियमावली में बदलाव लाकर पंजीकृत भूमि हस्तान्तरण का लेख रिकार्ड में तुरन्त दर्ज करना संभव किया है। वर्ष 2012–13 में पुराने प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन करके नई भू–अभिलेख तथा पंजीकरण नियमावली बनाई जाएगी जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जनता को समस्या मुक्त सेवा दी जा सके।

64. **हमने पहली बार डोगरा, सिख व मुस्लिम प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निश्चित की है। अब ये प्रमाण पत्र इनकी अधिसूचित संस्थाओं/स्थानीय निकायों द्वारा सत्यापित करने पर भी जारी किए जा सकेंगे। इससे इनको विभिन्न सरकारी सुविधाओं, विशेष रूप से सेना व अर्धसैनिक बलों में भर्ती, का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। इन प्रमाण पत्रों की वैद्यता जीवन पर्यन्त रहेगी।**

65. गांव मे भूमि के रहन विलेख (बिना कब्जे के), परिवार बन्दोबस्त विलेख, हस्तान्तरण पर स्टाम्प शुल्क घटा दी गई है जो न्यूनतम ₹100 तथा अधिकतम ₹1000 है। इससे प्रदेश के ग्रामीण लोगों को बहुत राहत मिली है।

66. हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए ई–स्टैम्पिंग की नई पद्धति को ज़िला शिमला व सोलन में प्रारम्भ कर दिया है तथा अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इससे कोषागार कार्यालय में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

67. डिजिटाईज़ेशन आफ कैडस्ट्रल मैप्स भू–अभिलेख के कम्पयूट्रीकरण का अभिन्न अंग है। इसलिए यह तय किया गया है कि वर्तमान मुसावियों को डिजिटल किया जाए ताकि भू–स्वामियों को नकल जमाबन्दी आदि के साथ डिजिटल नक्शा–मुसावी भी उपलब्ध करवायी जा सके। चम्बा एवं सिरमौर ज़िलों के अतिरिक्त दो और ज़िलों हमीरपुर एवं मण्डी में भी यह

कार्य शुरू किया जा रहा है। इस कार्य के लिए इन चारों ज़िलों मे ₹6.88 करोड़ खर्च होने का अनुमान है ।

68. राजस्व विभाग में अभी 924 चौकीदार कार्यरत हैं। इनमें से 650 की सेवाओं को दैनिक भोगी कर दिया गया है। अब मैं यह घोषणा करता हूँ कि शेष 274 राजस्व चौकीदारों को भी आगामी वित्तीय वर्ष में दैनिक भोगी कर दिया जाएगा। वर्ष 2012–13 में इस पर सरकार ₹3 करोड़ 62 लाख खर्च करेगी।

नम्बरदारों की राजस्व व अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः इनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए, मैं घोषणा करता हूँ कि वरिष्ठ नम्बरदारों को प्रतिवर्ष ₹2000 की सम्मान राशि दी जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

69. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के उपेक्षित एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। इसी वचनबद्धता को दर्शाते हुए इस वर्ष हमने महिला एवं बाल विकास तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलों के लिए पृथक विभागों का सृजन किया है।

70. वर्ष 2012–13 के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत मैंने ₹914.64 करोड़ का बजट प्रावधान किया है जो वर्ष 2011–12 के ₹816 करोड़ के बजट प्रावधान की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है।

71. ज़रूरत मंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। जबसे हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भाला,

सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ लगभग 1,04,156 नये लाभार्थियों को दिया गया तथा अब इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लाभार्थियों की कुल संख्या 2,77,817 हो गई है। कार्यभार सम्भालते ही हमने पैंशन की दरें ₹200 से बढाकर ₹300 प्रतिमाह तथा उसके पश्चात् ₹330 प्रतिमाह की है। अब **मैं 1–4–2012 से इस दर को बढाकर ₹330 से ₹400 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि 80 वर्ष की आयु से ऊपर वृद्ध लाभार्थियों के लिए यह दर ₹600 प्रतिमाह की जाएगी।**

सभी वर्गों के गम्भीर रूप से अपंग व्यक्तियों को जीवन में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पडता है। **अतः मैं यह घोषणा करता हूँ कि अगले वर्ष से 70 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले ऐसे सभी व्यक्ति जो सरकारी सेवा में न हो तथा जिनको कोई अन्य पैन्शन नहीं मिलती हो, उनको बिना आय सीमा की शर्त के सामाजिक सुरक्षा पैन्शन प्रदान की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पैन्शन प्रदान करने के लिए मैं वर्ष 2012–13 के लिए ₹147 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। महोदय,**

ज़िन्दगी के पथ पर, कुछ ऐसा किया जाए।
जो वेद पुराण की तरह, सुबह शाम पढ़ा जाए।

72. प्रदेश में वरिष्ठ नागरिको की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा इनकी जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 9 प्रतिशत हो गई है। समाज में इन्हें सम्माननीय स्थान प्रदान

करने और गरिमा और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से **"वृद्धों के लिए राज्य नीति"** बनाई जाएगी। वृद्ध आश्रमों तथा डे–केयर केन्द्रों के उचित संचालन हेतु **वरिष्ठ नागरिकों हेतु समेकित योजना** आरम्भ की जाएगी जिसमें इन संस्थानो में दी जाने वाली सुविधाओं के न्यूनतम मानक तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान जारी करने के मापदण्ड निर्धारित होंगे।

73. हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में युवाओं द्वारा मादक द्रव्यों के उपयोग की समस्या सामने आई है। अतः मादक द्रव्यों के कुप्रभावों बारे जागरुकता लाने के लिए प्रचार माध्यमों से तथा स्कूलों, कालेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वंय सेवी सस्थाओं को नशा निवारण केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नशे की उपलब्धता को रोकने के लिए कड़े कानूनी कदम भी उठाए जाऐंगे। तम्बाकू के प्रयोग को कम करने के लिए मैं सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों पर वैट 16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत व बीड़ी पर 9.75 से बढ़ाकर 11 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ।

74. **युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उनको शारीरिक विकास तथा उनकी ऊर्जा को दिशा देने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं प्रत्येक पंचायत तथा शहरी निकाय में ₹50,000 की लागत से एक व्यायामशाला (Gymnasium) स्थापित करने की घोषणा करता हूँ जिस पर**

लगभग ₹17 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। इसके अतिरिक्त विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के दिशानिर्देशों में भी व्यायामशालाओं हेतु धन देने का प्रावधान किया जाएगा।

75. हमारी सरकार ने बच्चों व महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष नीतिगत फैसले लिए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। दो लड़कियों तक के जन्म पर स्थाई परिवार नियोजन अपनाने वाले कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धियां देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसी प्रकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी अनेक कदम उठाये गये हैं जैसे अल्ट्रासांऊड़ केन्द्रों पर नज़र, पहली तथा दूसरी कन्या के जन्म पर नसबन्दी करवाने पर क्रमशः ₹25,000 तथा ₹20,000 की प्रोत्साहन राशि तथा लिंग जांच की सूचना देने वाले को ₹10,000 ईनाम देने का प्रावधान भी किया है।

76. हमने **"बेटी है अनमोल"** नामक योजना भी शुरू की है जिसमें BPL परिवार में जन्मी दो लड़कियों तक डाकखाने में उनके नाम से ₹5100 की राशि जमा करवाई जाती है। इसके अलावा उनको पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक शिक्षा हेतु ₹300 से ₹1500 तक की छात्रवृति भी दी जाती है। अब मैं, यह घोषणा करता हूँ कि इस योजना के अन्तर्गत जमा कराई जाने वाली राशि को ₹5100 से बढ़ाकर ₹10,000 किया जाएगा।

77. सरकार द्वारा असहाय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये "**बाल बालिका सुरक्षा योजना**" शुरू की जाएगी। इस योजना के

अन्तर्गत अनाथ तथा बेसहारा बच्चों की देखभाल करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि बच्चों की परिवार के वातावरण में सही देख–भाल हो सके और उन्हें आश्रमों में न रहना पड़े। इस योजना के अन्तर्गत ₹500 प्रति बच्चा, प्रति मास दिया जाना प्रस्तावित है।

78. महिलाओं को **"स्वरोज़गार सहायता कार्यक्रम"** के अन्तर्गत पात्र महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोज़गार हेतु बैंक से ऋण लेने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा ₹25,000 होगी Back ended subsidy के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा।

सैनिक / स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण

79. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों, शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं उनके परिवारों के कल्याण के प्रति वचनवद्ध है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण तथा उनकी समस्याओं के निदान के लिए सत्ता में आते ही हमने एक अलग सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया था।

80. हिमाचल प्रदेश में बहुत से जवान केन्द्रीय पुलिस संगठनों में कार्यरत हैं या सेवा निवृत्त हुए हैं। उनकी मांग है कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत केन्द्रीय पुलिस केन्टीन पर वैट की दरों में कमी की जाए। मैं उनकी मांग को स्वीकार करता हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि 'केन्द्रीय पुलिस केन्टीन' पर मात्र 4 प्रतिशत की दर से वैट लागू किया जायेगा।

81. भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जिन्हें कोई अन्य पैन्शन नहीं मिलती हो उनको ₹330 प्रतिमाह की दर से दिनांक 1–7–2009 से पैन्शन दी जा रही है। मैं यह राशि 1–4–2012 से ₹400 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ।

82. द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं की वित्तीय सहायता राशि को हमने वर्ष 2008 में ₹200 से बढ़ाकर ₹500 प्रतिमाह किया था। अब मैं इस राशि को 1–4–2012 से और बढ़ाकर ₹750 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ।

83. हमारी सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों का बहुत सम्मान करती है। उनकी तथा उनके परिवारों की देखभाल करना हमारी जिम्मेवारी है। हमारी सरकार ने "**सम्मान राशि**" को दिनांक 1–10–2011 से ₹4000 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹5000 प्रतिमाह किया है। अब मैं इस राशि को 1–4–2012 से बढ़ाकर ₹7500 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं तथा अविवाहित पुत्रियों की सम्मान राशि को ₹3000 प्रतिमाह से बढाकर ₹3500 प्रतिमाह करने की भी घोषणा करता हूँ। इस तरह स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत 2012–13 में लगभग साढ़े 4 करोड़ रूपये के लाभ प्राप्त होंगे।

मैं यहां पर राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की पक्तियां बोलना चाहूँगा–

मुझे तोड़ लेना वनमाली !
उस पथ में देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने,
जिस पथ जावें वीर अनेक।

वन एवं वन्य जीवन

84. हमारी सरकार सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाव तथा यमुना के जल ग्रहण क्षेत्रों में उपयुक्त एवं नए संरक्षण उपायों के द्वारा पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के प्रति सजग है जिससे प्रदेश में विकास की निरन्तरता को बनाया रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की 2011 की रिपार्ट के अनुसार प्रदेश में वन क्षेत्र में पिछली रिपोर्ट के मुकाबले 11 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसमें 367 वर्ग कि0मी0 की कमी दर्ज की गई है।

85. मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश, मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत वानिकी पर आधारित बायो–कार्बन परियोजना के लिए विश्व बैंक से अनुबन्ध करके पूरे देश में पहला राज्य बना है। यह योजना प्रदेश की 177 पंचायतों में 4003 है0 भूमि पर क्रियान्वित की जा रही है। यहां यह बताना भी उचित होगा कि हमारी यह बायो–कार्बन परियोजना विश्व की ऐसी सबसे बड़ी परियोजना है। इससे मिलने वाली राशि सीधी ग्राम पंचायतों को जाएगी।

86. हमारी सरकार ने JICA से स्वां नदी समन्वित जलागम विकास

परियोजना के अन्तर्गत ऊना ज़िले की 96 पंचायतों के लिए ₹160 करोड़ स्वीकृत करवाये हैं।

87. चालू वित्तीय वर्ष में **'सांझा वन संजीवनी वन'** कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य में संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के सहयोग से 32.5 लाख़ औषधीय पौधे रोपित/वितरित किए गए हैं। मैं इस योजना को आगामी वितीय वर्ष में भी जारी रखते हुए 45 लाख औषधीय पौधे रोपित/वितरित किये जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

88. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसान हित में कई निर्णय लिए हैं। हमने निजी भूमि से प्राप्त बिरोजे का मूल्य ₹5250 से बढ़ाकर ₹7000 प्रति क्विंटल किया है। साथ ही इसकी कुल विक्रय राशि को मौके पर अदा करने का निर्णय भी लिया है। निजी भूमि से प्राप्त बांस को नियन्त्रण मुक्त कर दिया गया है। इससे प्रदेश के किसान अपनी निजी भूमि से प्राप्त बांस को विक्रय करने में स्वतन्त्र होंगे। घुमन्तु चरवाहों के लिए अब 1 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष के लिए परमिट जारी किए जा रहे हैं जिससे लगभग 50 हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

सरकारी भूमि पर उगने वाले खैर को माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिबन्ध के कारण प्रयोग में नहीं लाया जा सकता तथा यह महत्वपूर्ण सम्पदा जंगलों में नष्ट हो रही है। अतः हम यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पूरे तथ्यों के साथ उठाएंगे, जिससे इस सम्पदा का वैज्ञानिक तरीके से दोहन किया जा सके।

89. **मैं घोषणा करता हूँ कि किसानों को अपनी निजी भूमि पर चन्दन की व्यवसायिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इसके दोहन के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाएगा जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके।**

90. प्रदेश में बन्दरों की समस्या से सभी चिन्तित हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए, अभी शिमला में टुटीकण्डी, सस्तर (हमीरपुर), गोपालपुर तथा बौल (ऊना) में बन्दर नसबन्दी केन्द्र कार्यरत हैं जिनमें 16 मार्च, 2012 तक 50865 बन्दरों की नसबन्दी की जा चुकी है। प्रदेश में ₹10 करोड़ की लागत से 25 नए बन्दर नसबन्दी केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बन्दर के पकड़ने तथा नसबन्दी करवाने पर 500 रूपये प्रोत्साहन राशि अदा की जायेगी। विभाग के गार्ड भी इस प्रोत्साहन राशि के लिये पात्र होंगे। हमारा इस वर्ष के अन्त तक 2 लाख़ बन्दरों की नसबन्दी का लक्ष्य है।

91. **वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों** की सीमाओं से रिहायशी क्षेत्रों को निकालने हेतु युक्तिकरण प्रस्ताव बनाया गया है जिसे राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय में CWP 337/1995 के तहत रखा गया है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति से 767 गांवों में रहने वाले लगभग 1 लाख 14 हज़ार लोगों को राहत प्राप्त होगी।

92. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2012–13 के दौरान वन एवं वन्य प्राणी क्षेत्र के लिए ₹379.92 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता

हूँ।

सड़कें एवं भवन

93. सड़कें हमारे राज्य की जीवन रेखायें हैं तथा रेल व जल सुविधा यातायात के अभाव में सड़कों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार ने सदैव ही सड़कों के क्षेत्र में उच्च तत्परता दिखाई है। आगामी वर्ष में 500 कि0मी0 मोटर योग्य सडकों, 25 कि0मी0 जीप योग्य सड़कों तथा 30 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 600 कि0मी0 सड़कों को पक्का किया जाएगा तथा 650 कि0मी0 सडकों पर Cross Drainage की सुविधा प्रदान की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टील क्रैश बैरियर लगाने के लिए ₹25 करोड़ की राशि प्रस्तावित है।

94. सड़क–सुरंगें न केवल यात्रा की लम्बाई और समय को कम करती हैं बल्कि इनसे अर्थव्यवस्था में बचत भी होती है। हमारी सरकार तीन मुख्य सुरंगों, बंगाणा–धनेटा सुरंग (लम्बाई 1200 मीटर), भुभुजोत (लम्बाई 2800 मीटर) और होली–उतराला सुरंग (लम्बाई 4940 मीटर) का निर्माण प्रस्तावित करती है जिसके लिए परामर्श दाता को साध्यता(Feasibility) रिपोर्ट तथा प्रारम्भिक और विस्तृत रूपांकन के लिये कार्य अवार्ड कर दिया गया है।

95. 1998 से पहले प्रदेश में 4 राष्ट्रीय उच्च मार्ग थे। हमने अपने पिछले कार्यकाल में 4 राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत करवाये जिससे राज्य में 8 राष्ट्रीय उच्च मार्ग हो गये थे। इस कार्यकाल में हमारी सरकार ने अथक प्रयासों से 2 और नये राष्ट्रीय उच्च

मार्गों की भारत सरकार से स्वीकृति लेने में सफलता प्राप्त की है, जिससे राज्य में इनकी लम्बाई 1247 कि0 मी0 से बढ़कर 1457 कि0मी0 हो गई हैA लेकिन दुखः की बात है कि इन उच्च मार्गों के रख–रखाव के लिए केन्द्र सरकार से हमें पूरी धन राशि नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त हमने 5 नये उच्च मार्गों का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा था जिस पर केन्द्रीय परिवहन मन्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने का निर्णय भी हो गया था। परन्तु इनकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह भारत सरकार का हमारे से, भेद–भाव का एक और उदाहरण है।

96. लोक निर्माण विभाग में कार्यों के निष्पादन को गति देते हुए पिछले 2 वर्षों में हमने विभिन्न विभागों के 1035 सरकारी भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर प्रदेश की जनता को समर्पित किया है।

97. मैं वर्ष 2012–13 में लोक निर्माण विभाग के लिए ₹2113.04 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

रोजगार सृजन एवं श्रम कल्याण

98. बेरोज़गारी की समस्या हमारे प्रदेश व देश में ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उभर कर सामने आई है। इस समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि स्वरोज़गार तथा दक्षता उन्नयन के द्वारा भी लगातार प्रयास किये हैं। आर्थिक कठिनाईयों तथा 13वें वित्तायोग द्वारा लगाई गई शर्तों के बावजूद हम सरकारी क्षेत्र में

लगभग 25,000 से अधिक लोगों को रोज़गार दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त PGT, TGT,C&V शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्सों, लिपिकों, आर्युवेदिक फार्मासिस्टों इत्यादि अनेक श्रेणियों के हज़ारों पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

99. इसके अतिरिक्त हम युवाओं को सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए उनकी दक्षता विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में ITI खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोज़गार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रदेश के 10 ज़िलों में बैंकों की भागीदारी से ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रेरित करने के लिए कृषि तथा बागवानी क्षेत्रों में **'पंडित दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना'**, जापान सहायता प्राप्त कृषि विविधिकरण योजना, **'मुख्य मन्त्री आरोग्य पशुधन योजना'**, **'दूध गंगा योजना'** तथा 'Apple Rejuvenation Scheme' इत्यादि योजनाएं प्रारम्भ की हैं।

युवाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ाने हेतु मैं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक **दक्षता उन्नयन परिषद** (Skill Upgradation Council) गठित करने की घोषणा करता हूँ जो न केवल वर्तमान में चल रही विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करेगी बल्कि दक्षता उन्नयन के लिए नई योजनाएं बनाने पर भी

विचार करेगी।

100. भवन एवं अन्य निर्माण कार्य मे कार्यरत कामगारों के कल्याण हेतु हमने **'भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड'** का गठन किया है, जो इस क्षेत्र में कार्यरत कामगारों, के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है जैसे ₹500 प्रतिमाह की पैन्शन, ₹1000 तक चिकित्सा सहायता, व ₹30,000 तक स्वास्थ्य बीमा। अपंगता की स्थिति में ₹500 प्रतिमाह की पैन्शन के साथ–साथ ₹10,000 तक की सहायता भी दी जाती है। प्रसव के मामलों में महिला लाभार्थियों को ₹10,000 की सहायता राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त 2 बच्चों की शिक्षा हेतु प्राथमिक से उच्च स्तर तक सहायता भी दी जाती है। इस बोर्ड को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाएगा जिससे इन योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

101. बेरोज़गारों के हित में निजी क्षेत्र की रिक्तियों को विभागीय वैबसाइट पर दर्शाया जा रहा है। निकट भविष्य में रोज़गार सहायता हेतु पंजीकरण व नवीनीकरण लोक मित्र केन्द्रों में भी सम्भव होगा। निजी क्षेत्र में कामगारों की मांग को पूरा करने के लिए राज्य भर के रोज़गार कार्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू आयोजित किये जा रहे हैं। इस वर्ष अभी तक 268 कैम्पस इन्टरव्यू तथा 7 रोज़गार मेलों को आयोजित किया गया, जिसके फलस्वरुप 7701 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोज़गार मिला है। सरकार, विद्युत जल परियोजनाओं व औद्योगिक संस्थानों में

हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोज़गार की नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर रही है।

गृह/कानून एवं व्यवस्था

102. वर्ष 2011 में प्रदेश में कानून–एवं–व्यवस्था की स्थिति शान्तिपूर्ण तथा नियन्त्रण में रही। गत 4 वर्षों में हमारी सरकार 3 नई IRB स्थापित करने में सफल रही है। इन 4 वर्षों में प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 4261 आरक्षी तथा 164 उप निरीक्षक की भर्ती की गई है। मैं वर्ष 2012–13 के लिए पुलिस तथा सम्बद्ध संस्थाओं हेतु ₹617.25 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित कर रहा हूँ।

103. Police Personnel को मासिक राशन भत्ता दिया जाता है। मैं इसकी दर को 50 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा करता हूँ जिससे लगभग 15000 कर्मियों को लाभ होगा।

104. कई स्थानों से पुलिस चौकी के उन्नयन की मांग प्राप्त हुई है। इस मांग को मानते हुए मैं फतेहपुर, ज़िला कांगड़ा व कालाअम्ब, ज़िला सिरमौर में पुलिस चौकियों का उन्नयन कर इन्हें पुलिस थाने बनाने की घोषणा करता हूँ तथा टांडा, जिला कांगड़ा, सोरंग, जिला किन्नौर, टाहलीवाल, ज़िला ऊना तथा न्योली(सैन्ज), ज़िला कुल्लू में नई पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करता हूँ जिससे इन क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन सुदृढ़ हो सके।

105. प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मैं डलहौजी, जोगिन्दरनगर, सुजानपुर, नूरपुर, ज्वालामुखी व

केलांग में नये अग्निशमन पोस्ट स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

तकनीकी शिक्षा

106. हमारी सरकार की मान्यता है कि युवाओं की रोज़गार क्षमता को बढाने के लिए तकनीकी तथा व्यसायिक शिक्षा का विस्तार अति आवश्यक है। ज़िला शिमला के प्रगति नगर में **अटल बिहारी वाजपेयी इन्सट्ीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंव टैक्नोलोजी** चालू शैक्षणिक सत्र से शुरू कर दिया गया है। ज़िला बिलासपुर के बन्दला में एक **हाइड्रो अभियान्त्रिकी महाविद्यालय** स्थापित करने के लिए NTPC के साथ MOU साईन हो चुका है। इसके अतिरिक्त ऊना ज़िले में **भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (IIIT)** की स्थापना भी शीघ्र ही होने वाली है।

107. अध्यक्ष महोदय, अगले शैक्षणिक सत्र 2012–13 से पांच नये बहुतकनीकी संस्थान बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर तथा लाहौल एंव स्पिति में खोले जाएंगे। मैं यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि वर्तमान में चल रहे 9 बहुतकनीकी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु ₹27 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी।

108. **'स्किल डवल्पमैन्ट इनीशीयेटिव स्कीम'** के अन्तर्गत स्कूल छोड़ चुके नौजवान, अकुशल एवं कुशल कामगारों जो कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, की कुशलता का स्तर बढ़ाने हेतु प्रदेश में 86 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पंजीकृत हैं, जो कि 18 विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन

केन्द्रों में अब तक 2579 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं।

109. मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जवाहर लाल नेहरू राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, सुन्दरनगर को तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अधीन चयनित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार पर ₹10 करोड़ व्यय किये जाएंगे।

जनजातीय विकास

110. अध्यक्ष महोदय, जनजातीय लोगों का कल्याण तथा उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही है। वर्ष 2012–13 में जनजातीय उप–योजना में ₹333.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है जोकि वित्तीय वर्ष 2011–12 से 12 प्रतिशत अधिक है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि जनजातीय उपयोजना का बजट पहले की तरह जनजातीय क्षेत्रों में ही खर्च किया जाएगा।

सहकारिता

111. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विभिन्न प्रकार की 4653 सहकारी सभायें कार्यरत हैं, जिनकी सदस्यता 15 लाख तथा अमानतें ₹11785 करोड़ हैं। सहकारी सभायें ग्रामीण लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से सरकार की योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर के भोजन की योजना आदि को 2906 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर रही हैं।

112. सहकारी सभायें अधिक स्वायतता तथा परिचालन की स्वतन्त्रता

की मांग करती रही हैं। हमारा प्रस्ताव है कि वर्ष 2012–13 में राज्य में स्वायत, आत्मनिर्भर तथा सदस्यों द्वारा संचालित सहकारी सभाओं को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य से सैल्फ रिलायंट (Self Reliant) सहकारी सभायें बिल इस माननीय सदन में पेश किया जायेगा।

113. सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने व महिला सशक्तिकरण हेतु सहकारी सभाओं की प्रबन्धक समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक और कदम होगा।

पर्यटन

114. अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पर्यटन विकास का हमारे राज्य की आर्थिक समृद्धि में विशेष स्थान है। साथ ही हम यह भी समझते हैं कि चिरस्थाई पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ–साथ राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना भी आवश्यक है। पर्यटन गतिविधियों के विस्तार हेतु हमने एशियन डवल्पमैन्ट बैंक से ₹428 करोड़ 22 लाख की एक परियोजना स्वीकृत करवाई है। यह योजना स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर के विकास तथा परिरक्षण और सम्बद्ध सेवाओं पर केन्द्रित है।

115. प्रचार एवं प्रोन्नति के क्षेत्र में हमने ब्रांड हिमाचल को **"कभी न**

भुला पाओगे''(Unforgettable Himachal) के तौर पर स्थापित किया है। इस अभियान के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सामग्री के लिये प्रदेश को भारत की राष्ट्रपति महोदया द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए **'राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार'** से सम्मानित किया गया है। प्रदेश को यह पहला राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार है तथा पिछले 4 वर्षों में इस क्षेत्र में प्रदेश को कुल 24 पुरस्कार विभिन्न संस्थाओं से मिल चुके हैं। पर्यटन उत्पाद में गुणात्मक बढ़ोतरी हेतु सभी सम्बन्धित विभागों से विभिन्न सेवाओं के संदर्भ निर्धारित (Bench Mark) किए जाएंगे। भविष्य में पर्यटन प्रदेश का मुख्य उद्योग बनने की ओर अग्रसर है।

116. नई योजना ''**हर गांव की कहानी**'' के माध्यम से 12 नए पर्यटन सर्किट विकसित किए जा रहे हैं जिससे इन गतिविधियों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नए अधोसरंचना विकास तथा पारम्परिक वास्तुशिल्प, घरेलु उत्पादों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के अधीन प्रदेश में वर्ष 2012–13 में 12 सर्किटों में ग्रामीण पर्यटन संरचना को विकसित किया जाएगा। इस पहल में प्रत्येक सरकारी विभाग व हिमाचल वासी की भागीदारी है।

117. प्रदेश में पर्यटन उद्योग में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में स्थापित होने वाले रज्जू मार्गों को मनोरंजन कर में पांच वर्ष तक की छूट प्रदान की गई है और वर्तमान में स्थापित

रज्जू मार्गों पर कर को वर्तमान दर 25 से 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

118. अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के जनजातीय तथा कठिन क्षेत्रों में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। इन क्षेत्रों के प्राकृतिक सौन्दर्य तथा समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को पर्यटकों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। इसके लिए यहां पर ठहरने की उचित व्यवस्था के रूप में अधोसंरचना उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। हमारी सरकार इन क्षेत्रों में नये होटल तथा बिस्तरों की संख्या बढाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहती है। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि जनजातीय तथा कठिन क्षेत्रों में खुलने वाले नये होटलों को 'विलास कर अधिनियम' के अन्तर्गत उनके शुरू होने से 10 वर्ष तक की अवधि में विलास कर से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।

भाषा एवं संस्कृति

119. पर्यटन विकास के साथ–साथ हमारी सरकार राज्य में कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। राज्य संग्रहालय में नवनिर्मित भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार का कार्य लगभग ₹5 करोड़ की लागत से पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 में प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने के लिए इस भवन में एक गैलरी स्थापित करके जनता के लिए खोल दी जाएगी। प्रदेश में दुर्लभ संदर्भ पुस्तकों के लिए पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा जो विद्यार्थियों, शोध छात्रों तथा लेखकों के लिए मददगार होगा। सरकार ने बिखरे

अभिलेखों, दस्तावेज़ों तथा महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों के संग्रह तथा संरक्षण का कार्य शुरू किया है। एक विस्तृत सर्वेक्षण के द्वारा 70,000 पाण्डुलिपियों की सूची तैयार की गई है।

इसके अतिरिक्त ज़िला ऊना में ₹6 करोड़ की लागत से बहु–उद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्र खोला जाएगा जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

120. वर्तमान में संगमरमर की मूर्तियों पर 13.75 प्रतिशत की दर से वैट लागू है। हिमाचल एक देव भूमि है, अतः मंदिरों में लगने वाली संगमरमर की मूर्तियों को मैं वैट कर से पूर्ण रूप से मुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

ग्रामीण विकास

121. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सशक्तिकरण व समृद्धि के प्रति कृत संकल्प है तथा इस दिशा में गत 4 वर्षों से लगातार कार्यरत है। प्रदेश की सभी 3243 ग्राम पंचायतों को बाह्य शौच मुक्त करने के लक्ष्य में हम सफल रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन पंचायतों में रहने वाले सभी लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ जिनके संयुक्त प्रयासों से ही यह सम्भव हुआ है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में हम गांवों, विशेषकर जो पर्यटन व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।

122. अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना प्रदेश में सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि जैसा

सदन के माननीय सदस्यों को विदित ही है कि इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सामग्री तथा मजदूरी का अनुपात 40:60 निर्धारित किया गया है। मैने यह देखा है कि इन दिशानिर्देशों के कारण स्थाई परिसम्पतियों का निर्माण नहीं हो पाता। मैं यह घोषणा करता हूँ कि भविष्य में स्थाई परिसम्पतियों के निर्माण हेतु 40:60 का अनुपात बाधा नहीं बनेगा तथा पात्र योजनाओं के लिए सामग्री के लिए, अन्य योजनाओं से Convergence करके, समुचित धन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के पानी के संग्रहण के ढांचों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 2011–12 में **₹336.48 करोड़** के कुल 46618 वर्षा जल संग्रहण ढांचों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2012–13 में इस योजना के अन्तर्गत और अधिक जल संरक्षण एवं जल संचय से सम्बन्धित कार्य किए जाएंगे।

123. वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य में ''**राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**'' (NRLM) लागू किया जाएगा। इस मिशन में गरीब परिवारों को स्वरोज़गार तथा दक्ष रोज़गार के अवसर प्रदान करके उनकी आजीविका को बेहतर बनाते हुए गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य है।

124. हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि इस राज्य के प्रत्येक नागरिक के सर पर छत हो। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2012–13 में 11,400 ग्रामीण गरीबों को ₹48,500 की दर से

आवासीय सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ।

125. अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में अधोसंरचना के विकास के अन्तर को समाप्त करने हेतु ''**गुरू रविदास सार्वजनिक सुविधा उन्नयन योजना**'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना हेतु वर्ष 2012–13 में, मैं ₹10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

पंचायती राज

126. राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को आगे जारी रखने के प्रति वचनबद्ध है ताकि यह संस्थाएं एक स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य करें तथा इस दिशा में और पग उठाए जाने प्रस्तावित हैं। चौथे राज्य वित्तायोग की अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इसकी सिफारिशें मान ली गई हैं। वर्ष 2012–13 में पंचायती राज संस्थाओं को कुल ₹208 करोड़ 95 लाख की राशि हस्तान्तरित करना प्रस्तावित है।

127. हमारी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान सफल साबित हुआ है तथा वास्तव में 58 प्रतिशत महिलाएं चुन कर आईं हैं। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत महिला पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि उन्हें अपने संवैधानिक कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम बनाया जा सके। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढाने के लिए

''**महिला सशक्तिकरण से स्थानीय स्वशासन**'' नामक योजना प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

128. पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने प्रत्येक पंचायत में पंचायत सहायक अथवा पंचायत सचिव का पद सृजित किया है। इसके अतिरिक्त 1164 पंचायत सहायकों को पंचायत सचिव बनाया गया है। पंचायतों के कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक भी हमने समय–समय पर बढ़ाया है। अब मैं यह घोषणा करता हूँ कि अनुबन्ध पर कार्यरत पंचायतों के सभी कर्मचारियों को जिनमें पंचायत सहायक, पंचायत सचिव, खण्ड अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ आशुलिपिक तथा सहायक अभियन्ता शामिल हैं, उनके पारिश्रमिक में सालाना 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दी जाएगी। ग्राम पंचायतों को पंचायत चौकिदारों को मानदेय देने के लिए ₹850 प्रतिमाह का अनुदान दिया जाता है तथा ₹150 प्रतिमाह वे अपने संसाधनों से देती हैं। अब मैं घोषणा करता हूँ कि सरकार के अंश का अनुदान ₹850 से बढ़ाकर ₹1050 प्रतिमाह किया जाएगा। साथ ही मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि सिलाई अध्यापिकाओं को उनकी पंचायत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी तथा उनका मानदेय भी ₹1400 से बढ़ाकर ₹1600 प्रतिमाह किया जाएगा।

129. पंचायत समितियों द्वारा लगाए गए '**तकनीकी सहायक**' पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हैं। मैं घोषणा करता

हूँ कि तकनीकी सहायकों की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक राशि को बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह किया जाएगा। यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2012 से लागू होगी। वर्तमान में ग्राम रोज़गार सेवक को ₹1500 न्यूनतम राशि दी जा रही है उसे बढ़ाकर मैं ₹1800 करने की घोषणा करता हूँ। पंचायत सहायक तथा अनुबन्ध पंचायत सचिव की सेवाओं हेतु भी उचित नीति बनाई जाएगी।

130. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय वर्ष 2008 में बढ़ाया था। अब मैं उनके मानदेय में 1 अप्रेल, 2012 से और वृद्धि करने की घोषणा करता हूँ। जिला परिषद अध्यक्ष के मानदेय को ₹3500 से बढ़ाकर ₹5000, उपाध्यक्ष के मानदेय को ₹2500 से बढ़ाकर ₹3500 तथा सदस्य जिला परिषद का मानदेय ₹1500 से बढ़ाकर ₹2000 प्रतिमाह किया जाएगा। पंचायत समिति के अध्यक्ष को ₹1800 से ₹2500, उपाध्यक्ष को ₹1500 से ₹2000 तथा सदस्य को ₹1200 से बढ़ाकर ₹1500 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रधान को ₹1200 से बढ़ाकर ₹1800, उप प्रधान को ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500 प्रतिमाह मानदेय तथा सदस्यों का बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक शुल्क ₹150 से बढ़ाकर ₹175 किया जाएगा।

131. हमारे प्रदेश की पंचायतें अच्छा कार्य कर रही हैं। पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिये मैं **'अटल आदर्श ग्राम पंचायत**

पुरस्कार योजना’ अगले वर्ष से आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत खण्ड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायत को ₹2 लाख, ज़िला स्तर पर ₹5 लाख, मण्डल स्तर पर ₹10 लाख व राज्य स्तर पर ₹20 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इन पुरस्कारों पर लगभग ₹2.5 करोड़ की राशि व्यय होगी। यह पुरस्कार 15 अगस्त के ज़िला व राज्य स्तर के कार्यक्रमों में दिये जाएंगे।

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण

132. हमारे प्रदेश की कृषि पर आधारित आर्थिकी, सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध होने पर ही अधिक से अधिक बढ़ सकती है। गत चार वर्षों में 26028 है0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹215.97 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिससे लगभग 7500 है0 अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

मैं माननीय सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि प्रदेश के लोगों को रियायती दरों पर पेयजल तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मैंने वर्ष 2012–13 में विद्युत खर्च के लिए ₹200 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है।

133. वृहत् सिंचाई परियोजना शाहनहर, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं सिद्धाता तथा बल्ह वैली (Left Bank) को वर्ष 2012 में चालू करना प्रस्तावित है। 204 करोड़ 51 लाख रूपये की लागत से बनने वाली मध्यम सिंचाई परियोजना फिना सिंह, तहसील नूरपुर, जिला कांगडा को अनुमोदित किया गया है तथा इस

कार्य के लिए वर्ष 2012–13 में ₹40 करोड का बजट प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 103 करोड़ 45 लाख़ रूपये की लागत से मध्यम सिंचाई परियोजना नदौन को अनुमोदित किया गया है जिसके लिए 2012–13 में ₹25 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। Command Area Development के लिए ₹10 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

134. वर्ष 2012–13 में बाढ़ नियन्त्रण कार्यो के अन्तर्गत 1200 हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए ₹47.5 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। स्वां नदी के तटीयकरण परियोजना चरण–2 का कार्य वर्ष 2012 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सीर खड्ड के तटीयकरण की परियोजना का कार्य शुरू किया जाएगा जिसके लिए वर्ष 2012–13 में मैंने ₹13 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है।

जलापूर्ति

135. हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। वित्त वर्ष 2012–13 में सभी Partially Covered(PC) बस्तियों को पूरा पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 2012–13 में 2500 हैण्डपम्प भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

136. प्रदेश में शहरों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 43 शहरों में पेयजल योजनाओं का सम्वर्धन किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 में पेयजल योजना सुजानपुर का सम्वर्धन कार्य पूर्ण

करना प्रस्तावित है। सिंचाई तथा जलापूर्ति के महत्व को देखते हुए मैं इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2012–13 में ₹1383.09 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

शिक्षा

137. शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। हमारे प्रयासों से प्रदेश में साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 83.78 प्रतिशत हो गई है, जबकि 2001 में यह 76.48 प्रतिशत थी। राज्य सरकार ने राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां पर अभी भी स्कूल नहीं हैं, वहां प्रारम्भिक विद्यालय खोलने के लिए स्थान चिन्हित किए हैं। इसी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को शतप्रतिशत विस्तार देने के लिए 41 प्राथमिक तथा 51 माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 2012–13 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अर्न्तगत खोला जाना प्रस्तावित किया है।

मैं वर्ष 2012–13 में शिक्षा हेतु ₹3419.11 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। जो वर्ष 2007–08 के 1551.42 करोड़ के बजट प्रावधान के मुकाबले 120 प्रतिशत अधिक है।

138. हमारी सरकार ने अध्यापक अभिभावक संघ (PTA) द्वारा विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों की मांग पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया है, कि लेक्चरार स्कूल कैडर को सरकार की तरफ से दी जाने वाली पी0टी0ए0 ग्रांट को ₹4800 से बढ़ाकर ₹7250, टी0जी0टी0 को ₹4110 से बढ़ाकर ₹6950, PET तथा

C&V अध्यापकों को ₹3750 से बढ़ाकर ₹6750 कर दिया जाएगा। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि इस कदम से पी0टी0ए0 अध्यापकों को लगभग ₹20 करोड़ प्रतिवर्ष के अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि पी0टी0ए0 अध्यापकों की सेवाओं को शिक्षण सस्थाओं में जारी रखा जाएगा तथा निर्धारित मापदण्ड़ों को पूर्ण करने वाले किसी भी पी0टी0ए0 अध्यापक को हटाया नहीं जाएगा।

गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय ₹1000 से बढ़ाकर ₹1200 प्रतिमाह किया गया था। मैं इसको वर्ष 2012–13 में बढ़ाकर ₹1300 करने की घोषणा करता हूँ। हमने प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में 801 अंशकालीन जलवाहकों के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति भी दे दी है। मुझे इनका एक प्रतिनिधिमण्डल भी मिला जिसको मैंने आश्वासन दिया है कि इनकी अन्य समस्याओं के बारे में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एन0 जी0 ओ0 तथा इनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट तीन माह में सरकार को देगी जिस पर सरकार सहानूभूतिपूर्वक विचार करेगी।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में 3539 प्राथमिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। मैं इनका मानदेय ₹6000 से बढ़ाकर ₹6500 तथा ₹4500 से बढ़ाकर ₹5000 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। इस प्रकार इन्हें प्रतिवर्ष लगभग ₹2 करोड़ के अतिरिक्त लाभ

प्राप्त होंगे।

139. दूरदराज के स्कूलों में कई बार कुछ समय के लिए अध्यापकों के पद रिक्त हो जाते हैं जिसका छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षा विभाग एक ऐसी नीति बनाएगा जिसके अन्तर्गत कम अवधि के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को Period Basis पर अध्यापक लगाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा तथा इसके लिए सरकार द्वारा अशंदान भी दिया जाएगा।

140. **हमारी सरकार ने 'अटल स्कूल यूनिफॉर्म योजना' नामक ₹60 करोड़ लागत की महत्वकांक्षी योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2012–13 से लागू होगी जिसके अर्न्तगत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी को अमीर गरीब के भेद के बिना, यूनिफॉर्म के दो जोड़े प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाए जाएंगे।**

141. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में चल रही गरीब छात्रवृति योजनाओं का युक्तिकरण करके वर्ष 2012 से इसकी दर बढ़ा कर, **'अटल छात्रवृति योजना'** आरम्भ करना प्रस्तावित है।

142. वर्तमान में 968 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा दी जा रही है। सरकार द्वारा इस शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति (बी0पी0एल0परिवार) के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजना प्रदेश की 1246 वरिष्ठ

माध्यमिक पाठशालाओं में ₹16 करोड़ 52 लाख के प्रावधान से चलाई जा रही है। यह परियोजना वर्ष 2012–13 में 848 उच्च विद्यालयों में भी शुरू की जाएगी। स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम तथा Multi Media के माध्यम से शिक्षण और बेहतर तथा सुदृढ़ होगा।

143. कम्पयूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि दसवीं कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 4000 विद्यार्थियों को उनके ग्यारहवीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते वक्त सरकार की तरफ से **आकाश टेबलेट** (Lap Top) मुफ्त उपलब्ध करवाये जाएंगे।

144. प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा खासकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को उचित महत्व दिया है। हमारी सरकार ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35–ए को हटाकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वायतता को बहाल किया है। हमारी सरकार के समय में अनुदान ₹30 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ किया गया। मैं अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को ₹13 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान देकर इनके अनुदान को वर्ष 2012–13 में ₹63 करोड़ करने की घोषणा करता हूँ।

राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं, करसोग, देहरी, नदौन तथा पालमपुर से स्नातकोत्तर कक्षाएं चलाने की मांग प्राप्त हुई है। मैं इस मांग को स्वीकार करते हुए घोषणा करता हूँ कि इन महाविद्यालयों में वर्ष 2012–13 के शैक्षणिक सत्र से स्नातकोत्तर

कक्षाएं शुरू की जाएंगी। वर्ष 2012—13 में आवश्यकतानुसार, मैं प्रदेश में नए महाविद्यालय भी खोलने की घोषणा करता हूँ। महोदय,

सपने वही सच होते हैं, जिन सपनों में जान होती है।
केवल परों से कुछ नहीं होता, हौंसलों से उड़ान होती है।

145. प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता तथा इसे रोज़गारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र में कई नये संस्थान स्थापित हुए हैं। हमारी सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को विनियमित किये जाने हेतु Himachal Pradesh Private Educational Institution Regulatory Commission की स्थापना की गई है जो पूरे देश में पहला ऐसा कदम है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण

146. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि प्रदेश में निरन्तर विकास के साथ—साथ पर्यावरण का संरक्षण तथा परिरक्षण सुनिश्चित किया जाए। जैसा मैंने पहले भी बताया, विश्व बैंक से ₹950 करोड़ का विकास नीति ऋण (DPL) प्रदेश में हरित विकास को लाने में हमारे प्रयासों को बल देगा। इस ऋण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय सन्तुलन रखते हुए विकास को गति देना तथा अधिक समावेशित विकास को बढ़ावा देना है।

प्रदेश में Aryabhatta Geo-Informatics and Space

Application Center(AGiSAC) की स्थापना की गई है जिससे हमें विकेन्द्रीकृत योजना बनाने तथा निर्णय लेने की सुविधा प्राप्त होगी। यह सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ावा भी देगा।

147. अध्यक्ष महोदय, हमने हिमाचल प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र की स्थापना की है जिससे जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कृषि, बागवानी, वन, पर्यटन, पनबिजली में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य की क्षमता का विकास हो।

युवाओं तथा स्कूली बच्चों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए IISER (Indian Institute of Science Education and Research) मोहाली के सहयोग से एक **'Virtual Centre'** को स्थापित किया गया है। इस "आभासी और आन लाईन शिक्षा" के माध्यम से राज्य में विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

शहरी निकाय/ नियोजन

148. अध्यक्ष महोदय, शहरी निकायों के महत्व और उनके द्वारा दी गई विविध नागरिक सेवाओं के दृष्टिगत, मैं शहरी निकायों को वर्ष 2012–13 में ₹93 करोड़ 2 लाख की धनराशि स्थानान्तरित करने की घोषणा करता हूँ। शहरी स्थानीय निकायों के लिए सर्विस लेवल बैन्चमार्क अधिसूचित किए गए हैं ताकि लोगों को जलापूर्ति, मल निकासी तथा गंदा पानी निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन जैसी मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो

सकें।

हिमाचल प्रदेश में सभी शहरी स्थानीय निकायों की सेवाएं देने की क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु 'एशियन विकास बैक' से ऋण प्राप्त करने हेतु Terms of Reference निर्धारित कर लिए गए हैं। इस ₹450 करोड़ के ऋण से प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को अगले 3 वर्षों में सुदृढ़ किया जाएगा।

149. मानचित्र अनुमोदन प्राधिकरणों की बहुलता से बचने हेतु एक सरलीकृत नियामक व्यवस्था एवं मानचित्र अनुमोदन प्रक्रिया शिमला योजना क्षेत्र हेतु अधिसूचित की गई है तथा साथ ही पूर्व में पारित 17 विकास योजनाओं में भी इसी तरह के संशोधन आम जनता की सुविधा के लिए लाये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पहाड़ी राज्य में भूमि की कमी और अधिक मूल्यों को देखते हुए, हमारी सरकार वर्तमान में लागू FAR के मापदण्डों को भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बढ़ाने पर भी विचार करेगी।

150. मैं नगर पंचायतों के अध्यक्ष का मासिक मानदेय ₹1200 से बढ़ाकर ₹1800, उपाध्यक्षों का ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500, तथा सदस्यों का ₹600 से बढ़ाकर ₹750 करने की घोषणा करता हूँ। नगर परिषदों के लिए यह राशि अध्यक्ष के लिए ₹1800 से बढ़ाकर ₹2400, उपाध्यक्ष के लिए ₹1500 से बढ़ाकर ₹2000 तथा सदस्यों के लिए ₹700 से बढ़ाकर ₹900 प्रतिमाह कर दी

जाएगी। नगर निगम शिमला के महापौर के लिए यह राशि ₹3500 से बढ़ाकर ₹5000, उप–महापौर के लिए ₹2500 से ₹3500 तथा पार्षदों के लिए ₹2000 से ₹2400 प्रतिमाह कर दी जाएगी।

151. शहरी निकायों को शराब पर एक रूपया प्रति बोतल के हिसाब से अतिरिक्त लाईसैन्स फीस की राशि दी जाती है। अब मैं आगामी वित्तीय वर्ष से इस दर को एक रूपये से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति बोतल करने की घोषणा करता हूँ। इसके फलस्वरूप शहरी निकायों को वर्ष 2012–13 में लगभग ₹4 करोड़ की राशि स्थानान्तरित होगी।

उद्योग

152. हमारी सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के सुनियोजित एवं योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिये वचनबद्ध है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में ₹53 करोड़ 80 लाख की लागत से सार्वजनिक निःस्त्राव उपचार संयन्त्र, म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबन्धन सुविधा एवं सीवरेज़ ट्रीटमैंट प्लान्टस की स्थापना हेतु सरकार ने कदम उठाये हैं। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय सुविधा की कमी का समाधान करने हेतु, बद्दी में महिला एवं पुरूष श्रम आवासों का निर्माण किया जा रहा है जिन पर ₹12 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जोकि अतिशीघ्र तैयार हो जाएँगे। बद्दी में ₹53 करोड़ की लागत से इनलेण्ड कन्टेनर डिपो को शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। इस डिपो से राज्य के निर्यातन्मुख उद्योगों को सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त

बद्दी में मिनी टूल रूम की स्थापना पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप सहभागिता के आधार पर ₹18 करोड़ 82 लाख की लागत से की जाएगी।

153. अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन को ज्ञात ही है कि कैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट को भारत सरकार द्वारा मार्च, 2010 तक आकस्मिक खत्म कर दिया गया है। हमने भारत सरकार से इस निर्णय को वापिस लेने तथा प्रोत्साहन की अवधि को बढ़ाने के लिए अनेकों बार आग्रह किया है। हम प्रदेश के लिए औद्योगिक पैकेज सन् 2020 तक बढ़ाने के लिये भारत सरकार से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम दृढ़ निश्चय से यह प्रयास जारी रखेंगे, क्योंकि यह हमारा विश्वास है कि यह पैकेज न केवल प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये ज़रूरी है बल्कि यह जम्मू–कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों की तर्ज़ पर पूर्णतः न्यायसंगत है।

154. इस कठिनाई के बावजूद जब हम देश के अन्य पहाड़ी राज्यों से तुलना करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश ने उद्योगीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा निवेश, प्रदेश के निवेश वातावरण में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन देने हेतु मैं 1 अप्रैल, 2012 के पश्चात् प्रदेश में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक ईकाईयों को पांच साल

तक विद्युत शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा करता हूँ। महोदय,

मौजों के थपेड़ों से डरकर,
जो साहिल पर रूक जाते हैं।
वो लोग कहां कश्ती अपनी,
तूफां में उतारा करते हैं।

कर्मचारी एवं नागरिक सेवा पैंशनर्ज़ कल्याण

155. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध रही है। 13वें वित्तायोग की असंगत सिफारिशों के कारण उत्पन्न वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद मैं सदन को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने गत चार वर्षों में अपने कर्मचारियों को ₹5400 करोड़ से अधिक के वित्तीय लाभ दिए हैं। कर्मचारियों की कुछ लम्बित मांगे हैं जो मैं समझता हूँ तर्कसंगत तथा विचारणीय हैं।

156. महोदय, मैं सरकार में कार्यरत दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी ₹120 से बढाकर ₹130 करने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे सरकार में कार्यरत दिहाड़ीदारों के अतिरिक्त मनरेगा में कार्यरत लगभग 4 लाख कर्मियों को लाभ होगा। अशंकालिक कर्मियों की प्रतिघण्टा दर भी तद्नुसार बढ़ाई जाएगी जिससे लगभग 11000 ऐसे कर्मचारियों को लाभ होगा। साथ ही, जिन दिहाड़ीदारों एवम् अनुबन्ध कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2012 तक आठ वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया होगा, उन्हें मैं नियमानुसार नियमित करने की घोषणा भी करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिन

अशंकालिक कर्मियों ने 31 मार्च, 2012 तक लगातार 10 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो उन्हें नियमानुसार दैनिक भोगी बनाने की घोषणा करता हूँ।

157. कर्मचारियों के लिए सरकारी आवासीय सुविधा के रखरखाव के लिए बजट राशि ₹5.8 करोड से बढाकर ₹10.75 करोड़ करना प्रस्तावित करता हूँ जो लगभग 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

158. किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु उसके परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे समय में शोक सन्तप्त परिवार को तुरन्त सहायता दी जानी ज़रूरी है। हमारी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वर्ष 1998 में ऐसे कर्मचारियों के परिवार को तुरन्त सहायता देने का प्रावधान किया था, जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो जाए। मैं इस अनुग्रह अनुदान की न्यूनतम सीमा ₹20,000 से बढाकर ₹35,000 तथा अधिकतम सीमा ₹50,000 से बढाकर ₹1 लाख करने की घोषणा करता हूँ।

159. कुछ कर्मचारी वर्गों को निश्चित यात्रा भत्ता दिया जाता है। मैं इन दरों में बढ़ोतरी करना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की प्रवास के दौरान मिलने वाले यात्रा तथा दैनिक भत्तों को संशोधित करने की भी मांग है। इस मांग को मानते हुए मैं प्रवास के दौरान कर्मचारियों को मिलने वाले TA/DA की दरों को भी संशोधित करना प्रस्तावित करता हूँ। इस पर लगभग ₹20 करोड़ अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना है जिसका लाभ सभी कर्मचारियों को प्राप्त होगा।

160. हमारे कर्मचारियों ने बच्चों की व्यवसायिक शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण के लिए भी आग्रह किया है। मैंने उनके आग्रह पर विचार कर यह महसूस किया कि यह मांग प्रदेश के युवाओं की रोज़गार क्षमता को बढ़ाएगी। मैं यह घोषणा करता हूँ कि कर्मचारियों को उनके बच्चों की व्यवसायिक शिक्षा के लिए ₹75,000 तक का ऋण दिया जाएगा जिसकी ब्याज दर GPF ब्याज दर के बराबर होगी।

161. **लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, हिमुडा तथा राज्य विद्युत परिषद में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता, उप–मण्डल अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता जैसे तकनीकी कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए मैं वर्ष 2012–13 में एक Award Scheme शुरू करने का विचार रखता हूँ। इन तकनीकी कर्मचारियों को योजनाओं को समय तथा लागत के अन्दर पूर्ण करने के लिए उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।**

162. इस वर्ष हमने पहली बार पैन्शनरों के साथ JCC की बैठक की है। हमारे कर्मचारी तथा पैन्शनर 7 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की भी मांग कर रहे हैं। मैं कर्मचारियों को 7 प्रतिशत DA इसी महीने के वेतन के साथ नकद देने की घोषणा करता हूँ। साथ ही जुलाई, 2011 से मंहगाई भत्ते की बकाया राशि को अप्रैल माह के वेतन के साथ देने की घोषणा करता हूँ। पैन्शनरों को जुलाई, 2011 से मंहगाई भत्ते का बकाया अप्रैल में नकद

भुगतान कर दिया जाएगा। 7 प्रतिशत डी0ए0 देने पर सालाना लगभग ₹340 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगें। इसके साथ ही मैं पैन्शनरों को उनके बचे हुए पूरे वेतन एरियर को अप्रैल, 2012 में नकद भुगतान की भी घोषणा करता हूँ।

163. लगभग 50,000 पैन्शनर तथा कर्मचारी ऐसे हैं जो निर्धारित चिकित्सा भत्ता लेते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि यह भत्ता ₹100 से बढ़ाकर ₹250 प्रतिमाह किया जाएगा। इससे पैन्शनरों/कर्मचारियों को लगभग ₹10 करोड़ के अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे।

164. वर्तमान में सरकारी वाहन चालकों को 20 वर्ष की सेवा अवधि के बाद एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाती है। मैं घोषणा करता हूँ कि भविष्य में 20 साल की सेवा अवधि के बाद चालकों को एक के बदले दो वेतन वृद्धियां दी जाएंगी।

165. सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुए उनके कुछ कर्मचारियों को सरकार में सेकन्डमैन्ट पर लिया गया था जिससे उनका वेतन भुगतान समय पर हो सके। अब मैं घोषणा करता हूँ कि इन कर्मचारियों को सरकार में आमेलित करने हेतु उचित नीति बनाई जाएगी।

युवा मामले एवं खेल

166. युवा हमारा भविष्य हैं और अगर उनकी प्रतिभा का पोषण किया जाए तथा उनकी ऊर्जा को खेलों जैसी प्रगतिशील गतिविधियों में लगाया जाए तो वे हमारे राज्य को नई ऊंचाईयों तक ले जा सकते हैं। राज्य सरकार राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खेल

ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के अन्तर्गत आज तक कुल 280 खिलाड़ियों को रोज़गार प्रदान किया गया है, जिसमें वर्ष 2011–12 में 24 खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2011 तक कुल 86 विजेता खिलाड़ियों को ₹62 लाख के नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

167. मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे प्रदेश के कई खिलाड़ियों की लन्दन में होने वाले Olympics में भाग लेने की सम्भावना है। इनको प्रोत्साहन देने हेतु मैं इन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले हिमाचली खिलाडियों को 1 करोड़, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 50 लाख तथा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 25 लाख रूपये का ईनाम देने की घोषणा करता हूँ।

ऊर्जा

168. अध्यक्ष महोदय, हमारी यह मान्यता रही है कि जल विद्युत क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमने वर्ष 1998–2003 के दौरान सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में जल विद्युत विकास को विशेष बढ़ावा दिया था। उन दूरदृष्टि प्रयासों का ही फल है कि हमारी स्थापित विद्युत क्षमता में बढ़ोतरी हुई है तथा आगामी दो वर्षो में इसमें और बढ़ोतरी अपेक्षित है। जब हमने चार वर्ष पूर्व सत्ता सम्भाली थी उस समय राज्य की विद्युत क्षमता 6393 मैगावाट थी जो की पिछले चार दशकों में

प्राप्त की गई। इस वित्त वर्ष के अन्त तक 2431 मैगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने की उम्मीद है तथा वर्ष 2012—13 में 328 मैगावाट विद्युत दोहन की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अतः 5 साल में लगभग 43 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ हम 9152 मैगावाट दोहन क्षमता तक पहुंच जायेगें जो कि राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व उपलब्धि है।

169. हमने स्थानीय लोगों को परियोजनाओं में भागीदार बनाने हेतु भी कदम उठाए हैं। हमने परियोजना से प्राप्त 1 प्रतिशत मुफ्त बिजली की आय को वार्षिक तौर पर प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को नकद देने के दिशा निर्देश जारी किये हैं। यह भारतवर्ष में अपनी तरह का पहला ऐसा कदम है जिसकी प्रशंसा देश व देश के बाहर भी की जा रही है। इस उन्नत कदम की विश्व बैंक ने हिमाचल के **Development Policy Loan** के प्रस्ताव को शीघ्र अग्रेषित कर प्रशंसा की है तथा इसे दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली के तौर पर प्रदर्शित किया है।

170. अन्तर्राज्यीय विद्युत सम्प्रेषण हेतु रावी, ब्यास, सतलुज व यमुना बेसिन के लिए हम हि0प्र0 पावर संचार निगम के लिए एशियन डवलपमैंट बैंक से ₹1600 करोड़ स्वीकृत करवाने में सफल हुए हैं। इससे प्रदेश में यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कोई भी परियोजना सम्प्रेषण (ट्रांसमिशन) सुविधा न होने के कारण प्रभावित न हो।

171. हमने अपनी तरफ से जल विद्युत के तीव्र विकास के लिए भरसक प्रयास किये हैं मगर दुर्भाग्यवश केन्द्र की नीति गतिहीनता के कारण 'वितरण कम्पनियां' पूरे देश में आर्थिक तौर पर बुरे दौर से गुज़र रहीं हैं। यदि केन्द्र सरकार शीघ्र ही कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो हमारे प्रयासों के बावजूद भी विद्युत उत्पादन पर पूंजीनिवेश खत्म हो जायेगा।

172. घरेलू स्तर पर हमने उत्कृष्ट विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयास किये हैं। राज्य की विद्युत वितरण व्यवस्था को पिछले चार वर्षो में ₹257 करोड़ खर्च करके सुदृढ़ किया गया है। हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड द्वारा R-APDRP के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ₹322 करोड़ खर्च करके कार्यकुशलता बढ़ाने व उपभोक्ता संन्तुष्टि हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड द्वारा प्रदेश की जनता को अच्छी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस परिषद को कई वर्षों से सरकार की ओर से कोई अंशदान (Equity) प्राप्त नहीं हुआ है। मैं वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2012–13 में हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड में ₹50 करोड़ का पूंजीनिवेश करने की घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं पर भार कम करने के लिए मैं बिजली पर उपदान के लिए बजट को ₹140 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2012–13 के लिए ₹190 करोड़ करना प्रस्तावित करता हूँ।

आबकारी

173. सरकार ने करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से

एवं कराधान

सूचना व प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न सेवाएं शुरू की हैं। हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम 2005 व केन्द्रीय कर अधिनियम 1956 के तहत ऑनलाईन पंजीकरण तथा कर की अदायगी की सुविधा करदाताओं को उपलब्ध करवाई गई है।

माल के अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण पर ऑनलाईन घोषणाओं की सुविधा एक करोड़ से उपर के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, अब मैं घोषणा करता हूँ कि अगले वर्ष से व्यापारियों को C, E, F, H फार्म के लिए कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा और यह फार्म उन्हें ऑनलाईन प्राप्त हो जाऐंगे।

174. प्रदेश में C व D वर्ग के बहुत सारे ठेकेदार हैं। इन ठेकदारों के कम टर्नओवर के कारण इन्हें नियमित रिटर्न भरने तथा कर निर्धारण करवाने में कठिनाई आती है। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि ऐसे C व D वर्ग के ठेकेदार जिनका सालाना टर्नओवर 30 लाख रूपये तक है और जिन्होंने 3 प्रतिशत की दर से TDS भरा है उनको उस वर्ष के लिए कोई भी रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। जो 3 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर काटा जाएगा, उसी को अन्तिम अदायगी माना जाएगा तथा इन ठेकेदारों के लिए कर निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से प्रदेश के हज़ारों ऐसे छोटे ठेकेदार लाभान्वित होंगे।

175. हिमाचल प्रदेश में लगभग 40,000 छोटे तथा मध्यम व्यापारी हैं। इन व्यापारियों की सुविधा के लिए इनको मान्य कर निर्धारण

(Deemed Assessment) वर्ग में लाने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा तथा जांच के नियमों का भी युक्तिकरण किया जाएगा जिससे इन व्यापारियों को आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालयों के बार–बार चक्कर न लगाने पड़ें।

176. **हिमाचल प्रदेश में ₹20 लाख से कम टर्नओवर वाले लगभग 36000 व्यापारी हैं। इनका आग्रह रहा है कि इन्हें दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान की जाए। इस आग्रह को मानते हुए मैं यह घोषणा करता हूँ कि ₹20 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए एक लाख तक की सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की जाएगी जिसका प्रीमियम सरकार द्वारा दिया जाएगा।**

177. ढाबों, कैन्टीन व भोजनालयों को चलाने वाले छोटे व्यवसायियों के लिए पंजीकरण तथा कर अदायगी से छूट की टर्नओवर सीमा को पहले 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया था। अब मैं अगले वर्ष से इस सीमा को ₹5 लाख करने की घोषणा करता हूँ जिससे इन छोटे व्यवसायियों को फायदा मिल सके।

178. अभी Non Ferrous Metals पर प्रवेश कर की दर ½ प्रतिशत है। Non Ferrous Metals दूसरे कच्चे माल के मुकाबले अधिक मूल्यवान होते हैं। अतः मैं Non Ferrous Metals पर प्रवेश कर की दर ½ प्रतिशत से घटाकर ¼ प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

पत्रकार कल्याण

179. हमारे पत्रकार बन्धुओं का समाज में सूचनाएं पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार का यही प्रयास रहा है कि कार्य के बेहतर निष्पादन के लिए जो सुविधाएं संभव हो सकती हैं, उन्हें प्रदान की जाएं। मैंने अनुभव किया है कि कुछ पत्रकारों को बीमारी की अवस्था में अपने ईलाज खर्च में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में कार्यरत सभी पत्रकारों को **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** के अन्तर्गत लाया जाएगा जिसमें उनका ₹1,75,000 तक का ईलाज निशुल्क हो सकेगा।

180. हमारी सरकार ने वर्ष 2002 में 'पत्रकार कल्याण कोष' भी स्थापित किया था, जिसके अन्तर्गत पत्रकारों या उनके आश्रितों को विपत्ति की अवस्था में वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। अब मैं इसका **'कॉरपस फंड' ₹**10 लाख से बढ़ाकर **₹**25 लाख करने की घोषणा करता हूँ।

181. मीडिया संस्थानों से समाचार पत्रों को छापने में प्रयोग होने वाले अखबारी कागज को प्रवेश कर से छूट देने की मांग प्राप्त हुई है। मैं उनकी इस मांग को मानते हुए समाचार पत्रों की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज़ को 'प्रवेश कर' से पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा करता हूँ।

बजट अनुमान

182. अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2012–13 के लिए मैक्रो (Macro) बजट अनुमानों तथा 2011–12 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष

2011–12 के संशोधित अनुमानों के अनुसार हम FRBM अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधित राजस्व अधिशेष तथा वित्तीय घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे।

FRBM अधिनियम की आवश्यकता अनुरूप मैं वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लिए प्रदेश सरकार की मध्यावधि वित्तीय योजना अलग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है।

183. वर्ष 2012–13 के लिए कुल ₹20243.92 करोड़ का बजट व्यय अनुमानित है। वेतन पर अनुमानित व्यय ₹6285.10 करोड़, पैंशन पर ₹2784.71 करोड़, ब्याज अदायगी पर अनुमानित व्यय ₹2249.67 करोड़, ऋणों की अदायगी पर ₹1937.30 करोड़ तथा अन्य ऋणों पर ₹367.17 करोड़ एवं रखरखाव पर ₹1567.55 करोड़ का व्यय अनुमानित है। मैं मान्य सदन को यह अवगत करना चाहूँगा कि वर्ष 2007–08 में राज्य का बजट ₹9684.15 करोड़ ही था। अतः इन पांच वर्षों में इसमें लगभग 109 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

184. वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति ₹16342.98 करोड़ तथा कुल राजस्व व्यय ₹15969.19 करोड़ अनुमानित है, जिससे राजस्व खाते में ₹373.79 करोड़ का अधिशेष रह जाएगा। सरकार के पूंजी खाते में ₹3331.59 करोड़ तथा लोक लेखा में भविष्य निधि इत्यादि की ₹650.00 करोड़ की

प्राप्तियां अनुमानित हैं। ऋण की अदायगी सहित कुल पूंजी व्यय के ₹4274.73 करोड़ रहने का अनुमान है। वर्ष 2012–13 के लिए वित्तीय घाटा ₹1939.35 करोड़ रहने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.88 प्रतिशत है।

185. इस प्रकार बजट अनुमानों के अनुसार, प्रति ₹100 व्यय के मुकाबले, प्रदेश की आय तथा केन्द्र से प्राप्त धनराशि सहित कुल राजस्व आय ₹80.73 होगी। ₹19.27 के इस अन्तर को ऋण द्वारा पूरा करना होगा। प्रदेश के राजस्व आय के प्रति ₹100 में से ₹30.95 कर राजस्व, ₹12.25 गैर कर राजस्व, ₹14.52 केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी तथा ₹42.28 केन्द्रीय अनुदान द्वारा प्राप्त होंगे। व्यय किए गए प्रति ₹100 में से, वेतन पर ₹31.05, पैंशन पर ₹13.76, ब्याज अदायगी पर ₹11.11, ऋण अदायगी पर ₹9.57, जबकि शेष ₹34.51 विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाऐंगे।

निष्कर्ष

186. अध्यक्ष महोदय, मैंने, राज्य के समावेशी विकास की तीव्र गति की हमारी परिकल्पना सहित, प्रदेश द्वारा अर्जित विविध उपलब्धियों का वर्णन किया है। हमारा प्रयास विकास प्रक्रिया के लाभ को आम आदमी तक पहुँचाना है। 13वें वित्तायोग की प्रतिकूल सिफारिशों तथा वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, हमने विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन कर प्रदेश में व्यापक विकास सुनिश्चित किया है। पिछले चार वर्षों के दौरान विकास के अनेक क्षेत्रों में हमारी सरकार की अनेकों उपलब्धियां, लोगों से

किए गए वायदों को पूरा करने के प्रति हमारी वचनबद्धता को दर्शाती हैं। हम न केवल प्रदेश में किए गए विकास को सुदृढ़ करेंगे अपितु विकास की गति को और भी तेज़ करना सुनिश्चित करेंगे।

187. हम जन–भागीदारी को सुनिश्चित बना कर लोगों को स्वच्छ प्रशासन तथा सुशासन उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध हैं। हमारी मूल धारणा राज्य में पर्यावरण मित्र सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की रही है। जैसा कि इस बजट के अनेकों प्रावधानों से स्पष्ट है।

188. इस बजट को हिमाचल के लोगों की सेवा के प्रति हमारे संकल्प के रूप में देखा जाए। मैं इस बजट को, प्रदेश के लोगों को समर्पित करता हूँ तथा हर नागरिक से **'हिमाचल सबसे ऊपर'** की उपलब्धि को बनाये रखने में सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। मेरा यह मानना है किः–

सोच को बदलो, सितारे बदल जाऐंगे;
नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जायेंगे;
कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं,
दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जायेंगे।

189. अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट को मान्य सदन को संस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द।

जय हिमाचल।

****